




The Rajasthan Finance Act, 2025

Act No. 5 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 11, मंगलवार, शाके 1947- अप्रेल 01, 2025 <i>Chaitra 11, Tuesday, Saka 1947- April 01, 2025</i>	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 28, 2025

संख्या प.2(17)विधि/2/2025.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 5)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के क्रम में, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005, राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने; और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) की सूची 2-राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के विक्रय के संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025 को अधिनियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2025 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3, 4, 5 और 6 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. **1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.-** राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की अनुसूची में,-

- (i) अनुच्छेद 33 में, स्तम्भ संख्यांक 1 के अधीन उक्त अनुच्छेद के खण्ड (vii) के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “वही शुल्क जो हस्तान्तरण-पत्र (सं. 21) पर उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर लगता है” के स्थान पर अभिव्यक्ति “सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर छह प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) अनुच्छेद 44 में, स्तम्भ संख्यांक 1 के अधीन खण्ड (ड) के विद्यमान उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- “(i) निष्पादी के पिता, माता, भाई, बहिन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र या पुत्री की पुत्री;”;
- (iii) अनुच्छेद 50 में स्तम्भ संख्यांक 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति “न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम का आधा (0.5) प्रतिशत।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम का और/या, यथास्थिति, बंधक सम्पत्ति के बाजार मूल्य का आधा (0.5) प्रतिशत।” प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 3

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में संशोधन

4. 2005 के राजस्थान अधिनियम सं. 7 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 7) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(च) विद्युत क्षेत्र में निष्पादन मानदंडों के आधार पर और/या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा सकल राज्य देशी उत्पाद का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने को अनुज्ञात किये जाने के कारण:”।

अध्याय 4

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

5. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “और राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई भी अधिकारी जो राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो” के स्थान पर अभिव्यक्ति “, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में पदस्थापित परिवहन विभाग के मोटर यान सब-इंस्पेक्टर और मोटर यान इंस्पेक्टर और राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का कोई अधिकारी जो उप निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो” प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 में विद्यमान अभिव्यक्ति “और राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का कोई भी अधिकारी जो राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो” के स्थान पर अभिव्यक्ति “, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में पदस्थापित परिवहन विभाग के मोटर यान सब-इंस्पेक्टर और मोटर यान इंस्पेक्टर और राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का कोई अधिकारी जो उप निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी से नीचे के पद का न हो” प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 5

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025 की अधिनियमिति

7. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025 को निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जायेगा, अर्थात्:-

“राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025

इलेक्ट्रॉनिक खातों के माध्यम से कर संदाय की संकल्पना को पुरःस्थापित करने और प्रत्येक वर्ष के आज्ञापक निर्धारण के और अपराधों के अभियोजन के उपबंधों को हटाने; और मूल्य परिवर्धित कर के उद्ग्रहण की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के लिए अधिनियम।

8. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और राज्य सरकार इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के प्रारम्भ के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत कर सकेगी।

9. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो,-

(1) “अपील प्राधिकारी” से आयुक्त द्वारा इस रूप में प्राधिकृत अपर आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(2) “निर्धारण प्राधिकारी” से आयुक्त द्वारा इस रूप में प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है;

(3) “निर्धारण” से इस अधिनियम के अधीन दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है;

(4) “लेखापरीक्षा” से इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन व्यवहारी द्वारा संधारित या दिये गये अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय की सत्यता को सत्यापित करने, और इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुरूप उसके अनुपालन को निर्धारित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है;

(5) “लेखापरीक्षक” से आयुक्त द्वारा इस रूप में प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है;

(6) “नियत दिवस” से वह तारीख, जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे, अभिप्रेत है;

(7) “बोर्ड” से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 में यथास्थापित बोर्ड अभिप्रेत है;

(8) “कारबार” के अंतर्गत है-

(क) कोई भी व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण या कोई अन्य समरूप क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या ना हो;

(ख) उप-खण्ड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार;

(ग) उप-खण्ड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो;

- (घ) कारबार के प्रारंभ या उसके बन्द किये जाने के संबंध में माल का प्रदाय या क्रय;
- (ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या सुविधाओं या फायदों वाले किसी ऐसे निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) प्रावधान;
- (च) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं;
- (9) “आयुक्त” से राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें धारा 3 के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त और विशेष आयुक्त सम्मिलित हैं;
- (10) “सिटी गैस वितरण नेटवर्क इकाई” से राज्य में नैचुरल गैस के वितरण के लिए भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा इस रूप में अधिसूचित इकाई अभिप्रेत है;
- (11) “व्यवहारी” से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी हैसियत में, चाहे नकद या आस्थगित संदाय के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा माल के क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का या खण्ड (36) में यथापरिभाषित क्रय या विक्रय का स्वयं या दूसरों के लिए कारबार करता है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-
- कोई आढ़तिया, दलाल, कमीशन एजेंट, प्रत्यायक अभिकर्ता या कोई भी अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, और चाहे इसमें इसके पूर्व वर्णित भांति का हो या न हो, जो ऐसे किसी भी मालिक के लिए जो प्रकट हो या न हो, के किसी भी माल के क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता है;
 - कोई नीलामकर्ता, जो ऐसे किसी भी मालिक के लिए, जो प्रकट हो या न हो, के माल का विक्रय या नीलाम करता है और चाहे आशयित क्रेता का प्रस्ताव उसके द्वारा या मालिक के द्वारा या मालिक के किसी नामनिर्देशिती द्वारा स्वीकार किया जाता है या नहीं;
 - किसी अनिवासी व्यवहारी का कोई प्रबंधक या अभिकर्ता, जो राज्य में ऐसे व्यवहारी के माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है;
 - कोई भी सोसाइटी, क्लब, न्यास या अन्य संगम, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो अपने सदस्यों से माल का क्रय या उनको माल का विक्रय करता है;
 - केन्द्रीय या कोई भी राज्य सरकार या उनके कोई भी विभाग या कार्यालय जो माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण, चाहे नकद या आस्थगित संदाय के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए चाहे कारबार के अनुक्रम में करते हैं या नहीं; और
 - किसी बैंक, बीमा कम्पनी, परिवहन कंपनी आदि को सम्मिलित करते हुए कोई भी व्यापारिक, वाणिज्यिक या वित्तीय स्थापन जो प्रत्यक्ष या अन्यथा माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण, चाहे नकद या आस्थगित संदाय, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए अपने कारबार के अनुक्रम में करता है या नहीं;
- (12) “राज्य का अभिहित पोर्टल” से राज्य सरकार द्वारा, रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने, कर के संदाय, विवरणियां देने और ऐसे अन्य कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे विहित किये जायें, यथाअधिसूचित इलेक्ट्रानिक पोर्टल अभिप्रेत है;

- (13) “इलेक्ट्रानिक नकद खाता” से धारा 13 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक नकद खाता अभिप्रेत है;
- (14) “इलेक्ट्रानिक जमा खाता” से धारा 13 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक जमा खाता अभिप्रेत है;
- (15) “छूट प्राप्त माल” से, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर से छूट प्राप्त कोई भी माल अभिप्रेत है;
- (16) “फर्म”, “भागीदार” और “भागीदारी” के क्रमशः वे अर्थ होंगे जो उन्हें भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) में समनुदिष्ट किये गये हैं;
- (17) “माल” से भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2-राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल अभिप्रेत है;
- (18) “आयातकर्त्ता” से ऐसा कोई व्यवहारी अभिप्रेत है जो विक्रय या विक्रय के लिए माल के विनिर्माण और प्रसंस्करण में उपयोग के प्रयोजन के लिए, कोई भी माल राज्य में लाता है या मंगाता है या जिसे कोई भी माल राज्य के बाहर के किसी भी स्थान से भेजा जाता है;
- (19) “इनपुट कर” से, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से किये गये किसी भी माल के क्रय पर, किसी कारबार के अनुक्रम में रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा संदत्त या संदेय कर अभिप्रेत है;
- (20) “बीजक” से ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें ऐसी विशिष्टियां हों, जो विहित की जायें;
- (21) “विनिर्माण” से कच्ची सामग्री या इनपुट का किसी भी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले किसी नये उत्पाद का अविर्भाव होता है और “विनिर्माता” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;
- (22) “अनिवासी व्यवहारी” से ऐसा कोई व्यवहारी अभिप्रेत है जो राज्य में किसी भी माल का क्रय या विक्रय करता है किन्तु जिसका राज्य में कारबार का कोई नियत स्थान या निवास स्थान नहीं हो;
- (23) “गैर-कराधेय प्रदाय” से माल या सेवाओं या दोनों का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) के अधीन कर से उद्ग्रहणीय है;
- (24) “आउटपुट कर” से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा उसके कारबार के अनुक्रम में माल के विक्रय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन प्रभारित या प्रभार्य कर अभिप्रेत है;
- (25) “व्यक्ति” से, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम या निकाय अभिप्रेत है और कोई अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब, या संयुक्त कुटुम्ब, कोई फर्म, कोई कम्पनी, चाहे वह निगमित हो या नहीं, कोई सहकारी सोसाइटी, कोई न्यास, कोई क्लब, कोई संस्था, कोई अभिकरण, कोई निगम, कोई स्थानीय प्राधिकारी, सरकार का कोई विभाग या अन्य कृत्रिम या विधिक व्यक्ति उसके अंतर्गत है;
- (26) “कारबार का स्थान” से राजस्थान राज्य में का कोई भी ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां कोई व्यवहारी माल का क्रय या विक्रय करता है, और इसके अन्तर्गत है,-
- (क) कोई भी ऐसा भांडागार, गोदाम या अन्य स्थान, जहां व्यवहारी माल रखता है;
- (ख) कोई भी ऐसा स्थान, जहां व्यवहारी माल को प्रसंस्कृत, उत्पादित या विनिर्मित करता है;

- (ग) कोई भी ऐसा स्थान, जहां व्यवहारी अपने लेखे, रजिस्टर, और दस्तावेज रखता है;
- (घ) कोई भी ऐसा यान या वाहक, जिसमें माल रखा जाता है या कारबार चलाया जाता है;
- (ङ) कोई भी ऐसा भाण्डागार, रेलवे स्टेशन, रेलवे माल यार्ड, पार्सल कार्यालय, या कोई अन्य स्थान जहां कारबार के अनुक्रम में या अन्यथा परिवहन के लिए व्यवहारियों द्वारा माल रखा जाता है;

स्पष्टीकरण.- व्यवहारी, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में, कारबार के स्थानों में से किसी एक को अपना “कारबार का मुख्य स्थान” घोषित करेगा, और उसके अंतिम लेखे, वार्षिक विवरण, रजिस्टर और दस्तावेज, चाहे हाथों से संधारित किये जायें या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, आवश्यक रूप से ऐसे स्थान पर रखे जायेंगे;

- (27) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (28) “कारबार का मुख्य स्थान” से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है;
- (29) “कच्चा माल” से अन्य माल के विनिर्माण में किसी संघटक के रूप में उपयोग में लिया जाने वाला माल अभिप्रेत है और प्रसंस्करण सामग्री, खपने वाले पदार्थ, विनिर्माण की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित परिरक्षी, ईंधन और स्नेहक उसके अन्तर्गत है;
- (30) “रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी” से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यवहारी अभिप्रेत है;
- (31) “निरसित अधिनियम” से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) अभिप्रेत है;
- (32) “पुनर्विक्रय” से माल का, उसमें ऐसा कुछ किये बिना जिससे वह किसी विनिर्माण की कोटि में आ जाये या परिणत हो जाये, विक्रय अभिप्रेत है;
- (33) “प्रतिवर्ती कर” से कर का ऐसा भाग अभिप्रेत है जिसके लिए धारा 12 के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रत्यय प्राप्त किया गया है;
- (34) “विवरणी” से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या उनके अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित विहित या उससे अन्यथा कोई विवरणी अभिप्रेत है;
- (35) “नियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (36) “विक्रय” से उसके समस्त व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नकद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में की सम्पत्ति का प्रत्येक अंतरण अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं-
- (i) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में की सम्पत्ति का, किसी संविदा के अनुसरण से अन्यथा, कोई अन्तरण;
 - (ii) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वलित माल में की सम्पत्ति (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) का कोई अन्तरण;
 - (iii) अवक्रय या किस्तों द्वारा संदाय की अन्य पद्धति पर माल का कोई परिदान;
 - (iv) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, किसी भी प्रयोजन के लिए माल का उपयोग करने के अधिकार का कोई अन्तरण (चाहे वह किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए हो या नहीं);

- (v) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का व्यक्तियों के किसी अनिगमित संगम या निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को कोई प्रदाय; और
- (vi) ऐसे माल का, जो खाद्य, मानव उपभोग के लिए कोई भी अन्य वस्तु या कोई भी पेय है (चाहे वह मादक है या नहीं) किसी भी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी भी अन्य रीति से, कोई प्रदाय जहां ऐसा प्रदाय नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है;

और ऐसा अन्तरण, परिदान या प्रदाय कोई विक्रय समझा जायेगा और अभिव्यक्ति “क्रय करना” या “खरीदना” शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा;

स्पष्टीकरण.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां कोई भी माल पैकिंग में बेचा जाये, वहां ऐसे मामले में पैकिंग सामग्री माल के साथ बेची गयी समझी जायेगी;

- (37) “**विक्रय कीमत**” से इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर के सिवाय, किसी व्यवहारी को, व्यापार में सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुसार किसी भी किस्म के डिस्काउंट या रिबेट के रूप में अनुज्ञात किसी भी राशि को कम करते हुए, किन्तु किसी भी कानूनी उद्ग्रहण, या व्यवहारी के द्वारा माल या दी गयी सेवाओं के संबंध में उसके परिदान के समय या उसके पूर्व की गयी किसी भी बात के लिए प्रभारित किसी भी राशि को सम्मिलित करते हुए, किसी माल के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में संदत्त या संदेय रकम अभिप्रेत हैं;

स्पष्टीकरण I.- अवक्रय करार द्वारा किये गये किसी करार के मामले में, माल की उस तारीख को प्रचलित बाजार कीमत, जब ऐसा माल ऐसे करार के अधीन क्रेता को परिदत्त किया गया है, ऐसे माल की विक्रय कीमत समझी जायेगी;

स्पष्टीकरण II.- विक्रय के समय बीजक से यथा प्रकट नकद या व्यापार डिस्काउंट विक्रय कीमत में से अपवर्जित कर दिया जायेगा किन्तु भूतलक्षी प्रभाव से दिये गये कोई भी डिस्काउंट या प्रोत्साहन या रिबेट या पुरस्कार आदि अपवर्जित नहीं किये जायेंगे;

स्पष्टीकरण III.- जहां किसी संविदा के निबन्धनों के अनुसार, माल-भाड़े की लागत और माल के परिवहन के संबंध में के अन्य व्यय व्यवहारी के द्वारा क्रेता के लिए या उसकी ओर से उपगत किये जायें, वहां माल भाड़े की ऐसी लागत और अन्य व्यय विक्रय कीमत में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे, यदि बीजक में पृथक् रूप से प्रभारित किये गये हों;

स्पष्टीकरण IV.- राज्य में खुदरा आउटलेट्स को डीजल और पेट्रोल के विक्रय के लिए तेल कम्पनियाँ द्वारा प्राप्त या प्राप्य रकम उस कीमत के बराबर समझी जायेगी जिस पर खुदरा आउटलेट्स ये वस्तुएँ उपभोक्ता को विक्रय करते हैं;

स्पष्टीकरण V.- राज्य में खुदरा आउटलेट्स को कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) के विक्रय के लिये सिटी गैस वितरण नेटवर्क इकाईयों (सीजीडी) और/अन्य व्यवहारियों द्वारा प्राप्त या प्राप्य रकम उस कीमत के बराबर समझी जायेगी जिस पर खुदरा आउटलेट्स ये वस्तुएँ उपभोक्ता को विक्रय करते हैं;

- (38) “**अनुसूची**” से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

- (39) “**विशेष आर्थिक जोन**” का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) की धारा 2 के खण्ड (यक) में उसे समनुदेशित किया गया है;

- (40) “कर” से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय कोई भी कर या किसी भी नाम का अन्य उद्ग्रहण अभिप्रेत है;
- (41) “कर कालावधि” से ऐसी कालावधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है;
- (42) “कराधेय माल” इस अधिनियम के अधीन माल का विक्रय अभिप्रेत है, जिसका कर उद्ग्रहीत किया जाता है;
- (43) “कराधेय आवर्त” से आवर्त का वह भाग अभिप्रेत है जो कुल आवर्त से ऐसी कटौतियां करने के पश्चात्, जो विहित की जायें, अवधारित किया जाये जिस पर कोई व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने का दायी होगा;
- (44) “राज्य में के आवर्त” से गैर-कराधेय प्रदाय (क्रयों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है) को सम्मिलित करते हुए सभी कराधेय विक्रय और/या अन्य प्रदायों, छूट प्राप्त माल का आवर्त, माल के निर्यात, राज्य से किये गये माल के अंतरराज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किन्तु इसमें कोई कर, अधिभार या उपकर अपवर्जित हैं;
- (45) “मूपक बीजक” से ऐसा बीजक अभिप्रेत है जिसमें ऐसी विशिष्टियां हों, जो विहित की जायें, और जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत व्यवहारी द्वारा जारी किया जाये;
- (46) “यान या वाहक” से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, परिवहन का कोई भी ढंग अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत मानव या पशु भी है;
- (47) “वर्ष” से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने और 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किये गये हैं किन्तु राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में समुद्देशित किये गये हैं जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हों।

10. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी.- सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अर्थात्:-

- (क) मुख्य आयुक्त,
- (ख) विशेष आयुक्त,
- (ग) अपर आयुक्त,
- (घ) संयुक्त आयुक्त,
- (ङ) उपायुक्त,
- (च) सहायक आयुक्त, और
- (छ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे:

परन्तु “अपर आयुक्त”, “उपायुक्त”, “सहायक आयुक्त”, “वाणिज्यिक कर अधिकारी”, “सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी”, “कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी” या “कर सहायक” के पद पर पदाभिहित राज्य सरकार के अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी समझे जायेंगे।

11. अधिकारियों की नियुक्ति.- (1) सरकार, धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगी, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे।

(2) आयुक्त को सम्पूर्ण राज्य पर अधिकारिता होगी और विशेष आयुक्तों को उन्हें समनुदेशित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राज्य पर अधिकारिता होगी या जहां राज्य सरकार ऐसा निदिष्ट करे, उसके किसी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता होगी और अन्य समस्त अधिकारियों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो विनिर्दिष्ट की जायें, सम्पूर्ण राज्य पर या ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर, जो आयुक्त आदेश द्वारा निदिष्ट करे, अधिकारिता होगी।

12. अधिकारियों की शक्तियां.- (1) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार या आयुक्त अधिरोपित करे, वाणिज्यिक कर विभाग का कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(2) वाणिज्यिक कर विभाग का कोई अधिकारी, किसी अन्य वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी को जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अपनी शक्तियां, अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

13. कर का भार.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यवहारी-

(क) जो माल का आयातकर्ता है; या

(ख) राज्य में जिसका वार्षिक आवर्त एक वित्तीय वर्ष में ऐसी रकम से अधिक है जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए,

इस अधिनियम के अधीन कर संदेय करने का दायी होगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, से भिन्न कोई व्यवहारी, जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल या ऐसे माल से विनिर्मित माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, अपनी आवर्त पर, धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन यथा अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प, इस शर्त के अधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसे व्यवहारी का राज्य में वार्षिक आवर्त एक वित्तीय वर्ष में ऐसी रकम से अधिक नहीं है जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(3) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यवहारी, जो उप-धारा (1) से (2) के अधीन कर देने का दायी नहीं है, ऐसा होने पर भी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर संदेय करने का दायी होगा।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यवहारी, जब तक उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहता है, तब तक, उसके आवर्त को विचार में लाये बिना, कर संदेय करने का दायी होगा।

14. कर का उद्ग्रहण और उसकी दर.- (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यवहारी के द्वारा संदेय कर उत्तरवर्ती व्यवहारियों के द्वारा किये गये विक्रयों की आवली में ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर होगा, जो विहित किये जायें और अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के कराधेय आवर्त पर उक्त अनुसूची में ऐसे प्रत्येक माल के सामने उल्लिखित दर से उद्ग्रहीत किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले व्यवहारी द्वारा संदेय कर, आवर्त पर पांच प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर से उद्गृहीत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये:

परन्तु राज्य सरकार इस उप-धारा के लिए व्यवहारियों के भिन्न-भिन्न वर्ग के लिए भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो वह अधिरोपित करे, यदि वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से अनुसूची-1 को परिवर्धित या उनसे लोप या अन्यथा संशोधित या उपान्तरित कर सकेगी या किसी भी माल के संबंध में संदेय कर की दर में कमी कर सकेगी और तत्पश्चात उक्त अनुसूची तदनुसार संशोधित की गयी समझी जायेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखी जायेगी जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिसमें वह इस प्रकार रखी गयी है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसी किसी अधिसूचना में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो उक्त अधिसूचना तत्पश्चात केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगी या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण तद्दीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(5) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार, माल के ऐसे वर्ग के संबंध में और व्यवहारियों के ऐसे वर्ग द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो राजपत्र में अधिसूचित की जायें, कर का संदाय एकमुश्त राशि में किये जाने के विकल्प का उपबंध कर सकेगी।

(6) धारा 6 और 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या संपूर्ण राज्य के संबंध में कतिपय माल या माल के वर्ग के विक्रय या क्रय पर संदेय कर की रकम को वजन, परिमाण, माप या इकाई के आधार पर, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर नियत कर सकेगी जो राजपत्र में अधिसूचित किये जायें।

(7) कोई व्यक्ति जो व्यवहारी नहीं है, माल के विक्रय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा।

(8) इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी कर का संग्रहण नहीं करेगा।

(9) यह साबित करने का भार, कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी विक्रय या क्रय किसी भी कारण से, इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर होगा।

15. अधिभार का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर उद्ग्रहणीय कर की रकम या कर के बदले में किसी राशि के बीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर से, और ऐसी तारीख से, अधिभार उद्गृहीत किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, और रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों द्वारा संदत्त किया जायेगा।

(2) वे उपबंध, जो इस अधिनियम के अधीन संदेय कर पर लागू हैं, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय अधिभार के संबंध में लागू होंगे।

(3) उप-धारा (1) के अधीन उल्लिखित अधिभार के आगमों का उपयोग गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।

16. कर से छूट.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी शर्त के बिना या ऐसी किसी भी शर्त के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी माल के विक्रय या क्रय को, कर से भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से, पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।

(2) राज्य सरकार लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-2 में यथा उल्लिखित किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के द्वारा किये गये विक्रय या क्रय को किसी भी शर्त के बिना या ऐसी शर्त के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से छूट दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करे, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से अनुसूची-2 को परिवर्धित या उसमें लोप या अन्यथा संशोधित या उपांतरित कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तदनुसार संशोधित की हुई समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे तो, विशेष आर्थिक जोन को प्रोन्नत करने या निर्यात को प्रोन्नत करने के प्रयोजन के लिए विक्रयों या क्रयों के किसी वर्ग के संबंध में इस अधिनियम के अधीन संदेय सम्पूर्ण कर के संदाय से ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट की मंजूरी अधिसूचित कर सकेगी जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें।

(5) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखी जायेगी जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिसमें वह इस प्रकार रखी गयी है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसी किसी अधिसूचना में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो उक्त अधिसूचना तत्पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगी या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण तद्दीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

17. रजिस्ट्रीकरण.- (1) धारा (6) की उप-धारा (1) या (3) के अधीन कर देने का दायी प्रत्येक व्यवहारी रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, आवेदन प्रस्तुत करके स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करायेगा।

(2) जब कोई व्यवहारी, जो रजिस्ट्रीकरण कराने के दायित्वधीन है, उप-धारा (1) के अधीन आवेदन नहीं करता है तो रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी को सुने जाने का कोई अवसर देने के पश्चात्, उसे ऐसी तारीख से, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन कर देने का दायी हो जाता है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर करेगा और ऐसा रजिस्ट्रीकरण ऐसे प्रभावी होगा मानो वह उप-धारा (1) के अधीन मंजूर किया गया है।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो कारबार आरंभ करने का आशय रखता है या आरंभ कर देता है, इस बात के होने पर भी वह उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण कराने के दायित्वधीन नहीं है, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

(4) इस प्रकार मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अन्तरणीय नहीं होगा और वह तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक उसे रद्द नहीं कर दिया जाता।

(5) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस पर, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 74) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, नियत दिवस से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा।

(6) राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण की वांछा करने और इस अधिनियम के अधीन आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जायेगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और रजिस्ट्रीकरण को संशोधित, रद्द और प्रतिसंहत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वह होगा जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

(8) रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण में संशोधन, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण और रद्द रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाये।

(9) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जहां कोई व्यवहारी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है वहां वह ऐसे आवेदन की तारीख से अपने विक्रयों पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर संगृहीत करना प्रारम्भ कर सकेगा और उस स्थिति में, इस अधिनियम के ऐसे समस्त उपबंध, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को लागू होते हैं, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, उस पर लागू होंगे।

18. किसी व्यवहारी द्वारा संदेय कर.- (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी कर की कालावधि के लिए धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले व्यवहारी से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा संदेय शुद्ध कर निम्नलिखित रूप से संगणित किया जायेगा:-

$$\text{टी} = (\text{ओ} + \text{आर}) - \text{आई}$$

जहां 'टी' संदेय शुद्ध कर है; 'ओ' आउटपुट कर की रकम है; 'आर' प्रतिवर्ती कर की रकम है; और 'आई' इनपुट कर की रकम है।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन संदेय शुद्ध कर का मूल्य नकारात्मक हो वहां उसे प्रथमतः केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 74) के अधीन या इस अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर या बकाया रकम के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा और अतिशेष रकम, यदि कोई हो अगली कर कालावधि या कालावधियों के लिए अग्रणीत की जायेगी।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां विक्रय इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मालिक की ओर से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता द्वारा किये जाते हैं वहां ऐसे विक्रय मालिक द्वारा किये गये विक्रय समझे जायेंगे और अभिकर्ता ऐसे विक्रयों के लेखे ऐसी रीति से देगा जो विहित की जाये।

(4) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन रद्द किया जाता है, ऐसे रद्दकरण की तारीख को स्टॉक में धारित प्रत्येक कराधेय माल और पूंजीगत माल के संबंध में विहित रीति से कर संदत्त करेगा।

19. इनपुट कर प्रत्यय.- (1) इनपुट कर प्रत्यय, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से राज्य के भीतर किये गये किसी भी कराधेय माल के क्रय के संबंध में धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले व्यवहारियों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये-

- (क) राजस्थान राज्य के भीतर विक्रय; या
- (ख) भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय; या
- (ग) राज्य के भीतर विक्रय के लिए, छूट प्राप्त माल से भिन्न माल के विनिर्माण में राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित के सिवाय कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किये जाने; या
- (घ) भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिए माल के विनिर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किये जाने, के प्रयोजन के लिए अनुज्ञात किया जायेगा,

तथापि, यदि क्रय किया गया माल भागतः इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और भागतः अन्यथा उपयोग में लिया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय उस सीमा तक, जिस तक उनका उपयोग इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, आनुपातिक रूप से अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई व्यवहारी उसको किये गये किसी माल के विक्रय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,-

- (i) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत विक्रय व्यवहारी द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो;

- (ii) उसने माल प्राप्त नहीं कर लिया हो;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि व्यवहारी ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां किसी विक्रेता द्वारा किसी क्रेता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन से पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है;

- (iii) इनपुट कर के दावों के मिलान से संबंधित उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे विक्रय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त विक्रय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदत्त न कर दिया जाए; और

- (iv) वह धारा 17 के अधीन विवरणी न दे दे;

- (v) खण्ड (i) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे रजिस्ट्रीकृत विक्रय व्यवहारी द्वारा विक्रय के विवरण में नहीं दिये गये हैं और ऐसे ब्यौरे, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित नहीं किये गये हैं:

परन्तु जहां माल मूपक बीजक के विरुद्ध लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी अंतिम लाट या किस्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा:

परन्तु यह और कि क्रेता माल के विक्रय के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मध्य रकम का उसके द्वारा किये गये संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा;

- (vi) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले नवम्बर मास के लिए धारा 17 के अधीन विवरणी के दिये जाने की नियत तारीख के पश्चात्, जैसा कि विहित किया जाए, माल के विक्रय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई भी इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित क्रयों पर से अनुज्ञात नहीं किया जायेगा-

- (i) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से, जो धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन कर देने का दायी है; या
- (ii) राज्य के बाहर से आयात के अनुक्रम में किये गये माल के; या
- (iii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से, जो प्रथम बिन्दु पर कर संदत्त करता है, विक्रयों की आवली में प्रथम बिन्दु पर कराधेय माल के;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए “विक्रयों की आवली में के प्रथम बिन्दु” से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा किया गया राज्य में प्रथम विक्रय अभिप्रेत है; या

- (iv) जहां मूल मूपक बीजक या उसकी दूसरी प्रति दावेदार के पास उपलब्ध नहीं हो या ऐसा साक्ष्य है कि वह विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा जारी नहीं किया गया है जिससे माल का क्रय किया जाना तात्पर्यित है; या
- (v) ऐसे माल के, जहां मूपक बीजक कर की रकम अलग से दर्शित नहीं करता; या
- (vi) जहां क्रय करने वाला व्यवहारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर विक्रय करने वाले व्यवहारी को प्रस्तुत करके या अन्यथा क्रय संव्यवहार की वास्तविकता सिद्ध करने में विफल हो जाता है।

(4) राज्य सरकार ऐसे मामलों को अधिसूचित कर सकेगी जिनमें आंशिक इनपुट कर प्रत्यय ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकेगा, जो इसके द्वारा अधिसूचित की जायें।

(5) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां राज्य में क्रय किये गये किसी माल का सहायता प्राप्त कीमत पर तत्पश्चात् विक्रय किया जाता है तो ऐसे माल के संबंध में इस धारा के अधीन अनुज्ञेय इनपुट कर ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर से अधिक नहीं होगा।

(6) किसी भी क्रय पर इनपुट कर प्रत्यय की हकदारी को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिसने इनपुट कर प्रत्यय के लिए दावा फाइल किया है।

20. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकम का संदाय.- (1) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, किसी व्यवहारी के लेखों के आधार पर, ऐसी रीति से और ऐसे अन्तरालों पर, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें, किसी सरकारी खजाने में या राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी बैंक में निक्षिप्त किया जायेगा, और व्यवहारियों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न अन्तराल अधिसूचित किये जा सकेंगे।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या यूनिकाइड पेमेंट इंटरफेस या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किये गये प्रत्येक निक्षेप को, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक नकद खाते में ऐसी रीति से और ऐसे अन्तराल पर, जो विहित किया जाए, संधारित करने के लिए प्रत्यय किया जायेगा।

(3) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी की विवरणी में यथा स्वतः निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसके इलेक्ट्रानिक जमा खाते में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, धारा 12 के अनुसार में प्रत्यय किया जायेगा।

(4) इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, तथा, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(5) इलेक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग, इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(6) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के सभी दायित्वों को इलेक्ट्रानिक उत्तरदायित्व रजिस्टर में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

- (क) स्व-निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य;
- (ख) स्व-निर्धारित कर और अन्य चालू कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य;
- (ग) इस अधिनियम के अधीन अवधारित मांग को सम्मिलित करते हुए, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम।

(8) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन माल पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे कर के पूर्ण भार को ऐसे माल के क्रय व्यवहारी को दिया है।

(9) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलेक्ट्रानिक नकद खाते में शेष धारा 31 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की तारीख, इलेक्ट्रानिक नकद खाते में निक्षेप की तारीख समझी जायेगी;

(ख) अभिव्यक्ति,-

- (i) “कर शोध्य” से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसमें ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं हैं; और
- (ii) “अन्य शोध्य” से इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है।

21. कर के विलंबित संदाय पर ब्याज.- (1) प्रत्येक व्यवहारी, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किन्तु सरकार को विहित कालावधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस कालावधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर, जैसा सरकार द्वारा अधि सूचित किया जाए, ब्याज का संदाय करेगा:

परन्तु धारा 17 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात्, किसी कर कालावधि के दौरान किये गये विक्रयों के संबंध में और उक्त कालावधि के लिए दी गयी विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी उक्त कालावधि के संबंध में धारा 22 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् दी जाती है, कर के उस भाग पर, जिसका संदाय इलेक्ट्रानिक नकद खाते से निकासी द्वारा किया जाता है, संदेय होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना, उस दिवस, जिसको ऐसा कर संदत्त किये जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्त्वर्ती दिवस से ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, की जायेगी।

(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत रूप से उपभोग और उपयोग कर लिया गया है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, गलत रूप से उपभोग और उपयोग किये गये ऐसे इनपुट कर प्रत्यय पर, ऐसी दर पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, ब्याज संदत्त करेगा और ब्याज की गणना ऐसी रीति से की जायेगी, जो विहित की जाए।

22. मूपक बीजक, जमा और नामे नोट.- कराधेय माल का विक्रय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी,-

(क) जहां विक्रय में माल का संचलन अंतर्वलित है, क्रेता को विक्रय के लिए माल को हटाने से पूर्व या के समय; या

(ख) किसी अन्य मामले में, क्रेता को माल का परिदान करने या उसे उपलब्ध कराने से पूर्व या के समय,

माल का विवरण, मात्रा और मूल्य, उस पर पृथक् रूप से प्रभारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसी विहित की जायें, दर्शित करते हुए मूपक बीजक जारी करेगा:

परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे समय में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए माल या विक्रयों के प्रवर्गों जिनके संबंध में मूपक बीजक जारी किया जायेगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परन्तु यह और कि मूपक बीजक के संबंध में रीति, समयावधि और जमा नोट, नामे नोट के संबंध में अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि विहित की जायें।

23. लेखे और अन्य अभिलेख.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी अपने कारबार के मूल स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथावर्णित विक्रय और क्रय, माल का स्टॉक और ऐसी अन्य विशिष्टियां ऐसे समय के लिए और ऐसे रीति से, जो विहित की जाएं, अनुरक्षित और संधारित करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जो कर देने का दायी है, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपने कारबार के ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम, जो प्रबंधक हैं/हैं और व्यवहारी की ओर से इस अधिनियम के अधीन नोटिस और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम भी कथित करते हुए, घोषणा प्रस्तुत करेगा और ऐसे व्यक्ति पर ऐसी तामील व्यवहारी पर बाध्यकारी होगी।

24. विक्रय, अन्य डिस्पेचों, क्रयों, अन्य प्राप्तियों के ब्यौरे देना और विवरणियां फाइल करना.-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी किसी कर कालावधि के दौरान किये गये विक्रय और अन्य डिस्पेचों के ब्यौरे, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से देगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा किये गये विक्रय और अन्य डिस्पेचों के ब्यौरे और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे को अन्तर्विष्ट करते हुए एक स्व-जनित कथन इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसे प्ररूप में और रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जैसा कि विहित किया जाए, उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्व का निर्धारण करेगा और विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप से, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, राज्य के अभिहित पोर्टल पर देगा।

(4) कोई भी व्यक्ति या कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिससे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसा करने की नोटिस द्वारा अपेक्षा की जाये, विवरणी ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, देगा।

(5) क्रेता व्यवहारी द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने के लिए विस्तार, समयावधि और प्रक्रिया और उसका सत्यापन ऐसा होगा, जैसा विहित किया जाए।

(6) उप-धारा (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां आयुक्त की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विक्रय, अन्य डिस्पेच, क्रय और अन्य प्राप्तियां, विवरणियां प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा सकेगी या व्यवहारी या व्यवहारियों के वर्ग द्वारा किसी विक्रय, अन्य डिस्पेच, क्रय और अन्य प्राप्तियों और/या विवरणियों के समस्त ब्यौरे फाइल करने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी।

25. वार्षिक विवरणी और अंतिम विवरणी.- (1) अनिवासी व्यवहारी सहित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिससे उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक मिलान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणों में घोषित विक्रय के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों के साथ, जो विहित की जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से उप-धारा (1) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिससे धारा 17 की उप-धारा (3) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।

26. विलंब फीस का उद्ग्रहण.- कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जो धारा 17 और धारा 18 के अधीन अपेक्षित विक्रय, क्रय या विवरणियों के ब्यौरे नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो नियत तारीख से विवरणियां प्रस्तुत करने में विलंब के लिए, जैसा कि विहित किया जाए, पचास हजार रुपये से अनधिक विलंब फीस का संदाय करेगा।

27. स्व-निर्धारण.- धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवहारी प्रत्येक कर कालावधि के लिए विहित समय के भीतर इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का स्वनिर्धारण करेगा और धारा 17 और धारा 18 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट विवरणी में ऐसे ब्यौरों की उद्घोषणा करेगा। ऐसा व्यवहारी इस प्रकार फाइल की गयी विवरणियों के आधार पर निर्धारित किया गया समझा जाएगा तथा धारा 21 से संबंधित मामलों के सिवाय कोई पृथक् आदेश जारी किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

28. विवरणियों की संवीक्षा एवं निर्धारण.- (1) निर्धारण अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों की विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा कर सकेगा और ध्यान में आयी विसंगतियों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सूचना दे सकेगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकेगा।

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाये जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को तदनुसार सूचित किया जायेगा और इस संबंध में कोई और कार्यवाई नहीं की जायेगी।

(3) निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूचित किये जाने के तीस दिवस की कालावधि के भीतर या ऐसी और

कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उसकी विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की जाती है, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर व्यवहारी का अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से निर्धारण करेगा।

(4) जहां कोई व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करने में असफल रहता है या धारा 17 और धारा 18 के अधीन विवरणियां प्रस्तुत करने में असफल रहता है या नोटिस की तामील के पश्चात् भी, अधिसूचित कर कालावधि के अनुसार कर जमा करने में असफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे समय में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व के निर्धारण की कार्यवाही कर सकेगा।

(5) इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के समाप्त होने से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जायेगा। तथापि, आयुक्त, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी विशेष मामले में ऐसी समय-सीमा को छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

29. कर के परिवर्जन या अपवंचन के मामले में निर्धारण.- (1) जहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यवहारी ने कर का परिवर्जन या अपवंचन किया है या विधि के अनुसार कर संदत्त नहीं किया है या इनपुट कर का प्रत्यय गलत रूप से प्राप्त किया है या त्रुटिवश प्रतिदाय प्राप्त किया है, वहां वह व्यवहारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय और किसी भी कालावधि के लिए, ऐसे व्यवहारी के उस कराधेय आवर्त का, जिस पर कर का परिवर्जन या अपवंचन किया गया है या इनपुट कर का प्रत्यय गलत रूप से प्राप्त किया है या त्रुटिवश प्रतिदाय प्राप्त किया है और अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से ऐसे समय में और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, कर निर्धारित करेगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई निर्धारण आदेश सुसंगत वर्ष के अंत से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् जारी नहीं किया जायेगा। तथापि, आयुक्त किसी विशिष्ट मामले में, कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसी समय सीमा को छह माह से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

30. व्यवहारी की लेखापरीक्षा.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन को अग्रसर करने की दृष्टि से, आयुक्त ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों के, जो आयुक्त द्वारा किसी मानदंड के लागू किये जाने के आधार पर या यदा-कदा चयन आधार पर चयनित किये जाते हैं, या जिनके संबंध में आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि उनके कारबार की विस्तृत संवीक्षा आवश्यक है, कारबार की लेखापरीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा। व्यवहारी की लेखापरीक्षा विहित रीति से लेखापरीक्षक द्वारा की जायेगी।

(2) यदि ऐसी लेखापरीक्षा पर, व्यवहारी द्वारा फाइल की गयी विवरणियां सही नहीं पायी जाती हैं या कर के किसी परिवर्जन या अपवंचन का पता चलता है तो लेखापरीक्षक पता चली विसंगतियों का ब्यौरा अंतर्विष्ट करते हुए व्यवहारी को हेतुक दर्शित करने का नोटिस जारी करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जारी किये गये नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर लेखापरीक्षक, व्यवहारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् उसके कर और अन्य संबंधित दायित्वों का निर्धारण करेगा और ऐसे आदेश को अपने अव्यवहित उच्चाधिकारी से मांग नोटिस के साथ व्यवहारी को उसे जारी करने से पूर्व अनुमोदित करवायेगा। जहां व्यवहारी उत्तर देने में विफल रहता है वहां लेखापरीक्षक इस अधिनियम के अधीन व्यवहारी के

दायित्व का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा। ऐसा निर्धारण उस सुसंगत कालावधि के लिए व्यवहारी का निर्धारण समझा जायेगा और पहले से किया गया निर्धारण, यदि कोई हो, इस धारा के अधीन किये गये निर्धारण के अध्यक्षीन होगा।

(4) सुसंगत वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, आयुक्त किसी विशिष्ट मामले में, कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसी समय सीमा को दो वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(5) उप-धारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी जहां निर्धारण से संबंधित कोई कार्यवाही बोर्ड या किसी सक्षम न्यायालय या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के न्यायनिर्णयन के अधीन हो तो ऐसे मामलों में निर्धारण ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम न्यायनिर्णयन से तीन वर्ष के भीतर-भीतर पारित किया जा सकेगा। तीन वर्ष की परिसीमा की गणना ऐसे अंतिम न्यायनिर्णयन आदेश के निर्धारण प्राधिकारी को संसूचना की तारीख से की जायेगी।

31. किसी गलती की परिशुद्धि.- (1) अभिलेख से प्रकट किसी भी गलती की परिशुद्धि करने की दृष्टि से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई भी अधिकारी या गठित कोई भी प्राधिकरण अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश को स्वप्रेरणा से या अन्यथा परिशुद्ध कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- अभिलेख से प्रकट किसी गलती में कोई ऐसा आदेश सम्मिलित होगा जो, उस समय विधिमान्य था जब वह किया गया था और भूतलक्षी प्रवर्तन वाले विधि के किसी संशोधन द्वारा या उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय या बोर्ड के किसी निर्णय द्वारा बाद में अविधिमान्य कर दिया जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन परिशुद्धि के लिए कोई भी आवेदन परिशुद्ध किये जाने के लिए ईप्सित आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् फाइल नहीं किया जायेगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई आवेदन निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाये और उसकी रसीद अभिप्राप्त की जाये, वहां उसका निपटारा प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा और जहां ऐसे आवेदन का निपटारा उक्त कालावधि के भीतर-भीतर नहीं किया जाये वहां वह मंजूर कर लिया गया समझा जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन कोई भी परिशुद्धि परिशुद्ध किये जाने के लिए ईप्सित आदेश की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं की जायेगी:

परन्तु आयुक्त, इस धारा के अधीन अधिसूचना द्वारा, किसी आवेदन को फाइल करने और उसके निपटान के लिए अपेक्षित समय अवधि को बढ़ा सकेगा।

(5) परिशुद्धि का कोई भी ऐसा आदेश, जिसके प्रभाव से किसी व्यवहारी के दायित्व में किसी भी रूप में वृद्धि होती हो, उसे सुने जाने का कोई अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

32. एकपक्षीय निर्धारण का पुनः खोला जाना.- (1) जहां कोई निर्धारण धारा 21 या धारा 22 या धारा 23 के अधीन एकपक्षीय किया गया है वहां निर्धारण प्राधिकारी ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप मांग नोटिस की तामील की तारीख से साठ दिन के भीतर-भीतर, व्यवहारी द्वारा किये गये आवेदन पर इस धारा की उप-धारा (2) के अध्यक्षीन रहते हुए निर्धारण आदेश रद्द करने और विधि के उपबंधों के अनुसार नया निर्धारण करने की कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व निर्धारण प्राधिकारी को यह समाधान कर लेना चाहिए कि आवेदक व्यवहारी ने धारा 21 या धारा 22 या धारा 23 के अधीन उसे जारी किये गये नोटिस या समन

प्राप्त नहीं किये या कि वह निर्धारण के लिए उसे जारी किये गये किसी भी नोटिस या समन का पालन करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था।

(3) निर्धारण प्राधिकारी उप-धारा (1) में यथाउल्लिखित निर्धारण आदेश के रद्दकरण की तारीख से साठ दिन के भीतर-भीतर नया निर्धारण करेगा।

33. कर या मांग के संदाय के लिए दायित्व.- (1) कर या मांग इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी निर्धारण या पारित किसी आदेश के आधार पर किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।

स्पष्टीकरण I.- इस अधिनियम के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, या किसी भी राशि को, संग्रहण, वसूली के प्रयोजनों के लिए और उनसे प्रासंगिक या आनुषंगिक समस्त विषयों के लिए, कर समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण II.- मांग के अन्तर्गत इस अधिनियम या नियमों के अधीन किसी व्यक्ति या किसी व्यवहारी द्वारा संदेय कोई भी रकम है।

(2) किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त कर, इस अधिनियम के अधीन किसी कर दायित्व या पारित किसी आदेश के अनुसरण में संदेय ठहरायी गयी रकम के प्रति समायोजित किया जायेगा और अतिशेष रकम, ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति द्वारा, नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर या तीस दिन से कम की ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर संदेय होगी जो निर्धारण प्राधिकारी या लेखापरीक्षक या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य प्राधिकारी के द्वारा विशेष परिस्थितियों में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अवधारित की जाये।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन संदेय कर या मांग के संदाय में व्यतिक्रम होने पर, कर या मांग की रकम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) और राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के उपबन्धों सहित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वसूलीय होगी।

(4) जहां कर या मांग या उसके किसी भाग की वसूली रोक दी जाये वहां, ऐसे कर या मांग की अन्ततः बकाया पायी गयी रकम इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ब्याज सहित वसूलीय होगी और ऐसा ब्याज ऐसी रकम पर, कर या मांग के प्रथम बार देय होने की तारीख से संदेय होगा।

(5) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, निम्नलिखित मामलों में मांग के संदाय के लिए दायित्व ऐसा होगा, जैसा विहित किया जाये:-

- (i) मृत व्यक्ति के प्रतिनिधियों की दशा में; या
- (ii) कारबार के विघटन/समापन/विभाजन की दशा में; या
- (iii) कारबार के अन्तरण की दशा में; या
- (iv) कम्पनियों का विलयन और समामेलन की दशा में; या
- (v) मालिक और अभिकर्ता की दशा में; या
- (vi) फर्मों और भागीदारों की दशा में; या
- (vii) कम्पनियों के निदेशकों की दशा में।

34. कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की.- (1) जहां धारा 21 या धारा 22 या धारा 23 या धारा 35 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे व्यवहारी की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति से, जो विहित की जाए,

कुर्की कर सकेगा।

(2) ऐसी प्रत्येक अनंतिम कुर्की का उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रभाव नहीं रहेगा।

35. वसूली का ढंग.- (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस अधिनियम के अधीन किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कोई भी कर या अन्य राशि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या जारी की गयी अधिसूचनाओं के उपबंधों के अनुसार संदत्त नहीं की जाती है वहां वह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी और निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय करके ऐसे कर या अन्य राशि को वसूल करने के लिए सशक्त होगा और राजस्थान भू-राजस्व (संदाय, उधार, प्रतिदाय और वसूली) नियम, 1958 के साथ पठित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के समस्त उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य प्राधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर, लिखित नोटिस देकर, जिसकी एक प्रति व्यवहारी को, उसके अंतिम ज्ञात पते पर भेजी जायेगी,-

(क) ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जिससे कोई भी रकम ऐसे किसी व्यवहारी को देय हो या देय हो जाये जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर शोध्य कर या अन्य राशि का संदाय करने में विफल रहा है; या

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति से, जो ऐसे व्यवहारी के लिए या उसके मध्ये कोई भी धन धारित करता हो या तत्पश्चात् धारित करे,

सरकारी खजाने या राज्य सरकार की ओर से, जैसा विहित किया जाए, धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक में संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, आयुक्त, किसी व्यवहारी द्वारा इस निमित्त किये गये आवेदन पर और ऐसी जांच करवा लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, और ऐसा करने के अपने कारण लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यवहारी द्वारा संदेय ब्याज या शास्ति या दोनों की रकम कम या अधित्यजित कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि-

(i) व्यवहारी वित्तीय कठिनाई में है और मांग का पूरा संदाय करने की स्थिति में नहीं है; या

(ii) अन्यथा करने से व्यवहारी को वास्तविक कठिनाई होगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी भी सिविल न्यायालय या किसी भी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

36. मांग को अपलिखित करने का अधिकार.- जहां किसी व्यवहारी के विरुद्ध केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) सहित इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई मांग, ऐसी तारीख से, जिसको वह शोध्य हुई, ऐसी कालावधि के लिए जो विहित की जा सकेगी, से अधिक समय से बकाया है और ऐसी मांग, कुर्क किये जाने और विक्रीत किये जाने हेतु किसी भी प्रकार की संपत्ति के अभाव में अवसूलीय हो गयी है वहां मांगों को अपलिखित करने का उपबंध करने वाली अन्य विधि या नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी मांग, ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाए, लिखित आदेश द्वारा अपलिखित की जा सकेगी।

37. कर का संपत्ति पर प्रथम प्रभार होना.- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अं तर्विष्ट होने पर भी, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 31) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी व्यवहारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे व्यवहारी या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगा।

38. कर का प्रतिदाय.- (1) जहां कोई भी रकम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी व्यवहारी को प्रतिदेय हो वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी रकम के निक्षेप के तथ्य का उसके द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापन कर लेने के पश्चात्, ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति को प्रतिदत्त की जाने वाली रकम का, या तो नकद संदाय करके, या किसी भी कर कालावधि के संबंध में देय कर या अन्य राशि के प्रति समायोजन करके ऐसे समय, रीति और ऐसी शर्तों के साथ, जो विहित की जाये, से प्रतिदाय करेगा।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी कोई विवरणी फाईल करता है और भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रयों के मद्दे प्रतिदाय का दावा करता है वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यवहारी से ऐसे दस्तावेज देने की अपेक्षा कर सकेगा जो विहित किये जायें और समाधान हो जाने पर ऐसे समय के भीतर-भीतर जैसा कि विहित किया जाये, व्यवहारी को नकद में प्रतिदाय मंजूर करेगा।

39. कतिपय मामलों में प्रतिभूति प्राप्त करने या प्रतिदाय रोकने की शक्ति.- जहां प्रतिदाय करने वाला कोई आदेश किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की विषय-वस्तु हो और ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही अनुध्यात या लंबित हो और संबंधित अधिकारी या निर्धारण प्राधिकारी की लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह राय हो कि प्रतिदाय की मंजूरी से राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है वहां उक्त अधिकारी या निर्धारण प्राधिकारी, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, या तो व्यवहारी या व्यक्ति को प्रतिदत्त की जाने वाली रकम के बराबर प्रतिभूति प्राप्त कर सकेगा या प्रतिदाय को ऐसे समय तक रोक सकेगा, जो आयुक्त अवधारित करे।

40. शास्ति.- (1) जहां कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट या नियमों में विहित समय के भीतर-भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा-अपेक्षित रूप से स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए कोई आवेदन करने में, युक्तियुक्त हेतुक के बिना, विफल हो गया है वहां निर्धारण प्राधिकारी या उसे रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति दस हजार रुपये से अनधिक की राशि या अपवं चित कर के बराबर रकम, जो भी अधिक हो, शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

(2) जहां कोई व्यवहारी धारा 16 के उपबंधों के अधीन यथा-अपेक्षित लेखे, रजिस्टर और अभिलेख संधारित नहीं करता है, या अपने लेखे, रजिस्टर और अभिलेख धारा 16 के उपबंधों के अनुसार किसी स्थान पर नहीं रखता है वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति दस हजार रुपये से अनधिक की राशि या अपवं चित कर के बराबर रकम, जो भी अधिक हो, शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

(3) जहां कोई भी व्यक्ति-

(क) जो इस अधिनियम के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी नहीं है या रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी होते हुए कर देने का दायी नहीं है, कर के रूप में कोई भी रकम संगृहीत करता है; या

(ख) जो कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी है, उसके द्वारा संदेय कर से अधिक कोई भी रकम कर के रूप में संगृहीत करता है; या

(ग) जो इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन में कर अन्यथा संगृहीत करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी,

इस प्रकार संगृहीत रकम को, आदेश द्वारा, समपहृत करेगा।

(4) जहां किसी भी व्यक्ति या व्यवहारी ने उप-धारा (3) के खण्ड (क), (ख) या (ग) में विनिर्दिष्ट रीति से कोई रकम संगृहीत की है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी ऐसे व्यक्ति या व्यवहारी को खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन समपहृत रकम के अतिरिक्त, दस हजार रुपये से अनधिक की राशि या इस प्रकार संगृहीत कर के पचास प्रतिशत के बराबर की रकम, जो भी अधिक हो, शास्ति देने का निदेश दे सकेगा।

(5) जहां किसी व्यवहारी ने-

- (क) उसके द्वारा दी गयी किसी विवरणी में माल के विक्रय का कराधेय आवर्त इस अधिनियम के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट कर की दर के बजाय कर की निम्नतर दर पर प्रकट किया है या उसके द्वारा दी गयी विवरणी में उसने जानबूझकर अन्यथा गलत विशिष्टियां दी हों; या
- (ख) इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित अपने लेखाओं, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों में विक्रय या क्रय के किसी भी संव्यवहार को, इस अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कर की दर की अपेक्षा निम्नतर दर से समाविष्ट की हो; या
- (ग) उसके द्वारा दी गयी किसी भी विवरणी से कोई भी विशिष्टियां छिपा ली हों; या
- (घ) इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित अपने लेखाओं, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों में विक्रय या क्रय के कोई भी संव्यवहार छिपाये हों; या
- (ङ) इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथा अपेक्षित स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराने में विफल रहता है और कर का परिवर्जन किया हो; या
- (च) किसी भी अन्य रीति से कर का परिवर्जन या अपवंचन किया हो,

वहां निर्धारण प्राधिकारी या सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाये, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, उस पर शास्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त परिवर्जित या अपवंचित कर की रकम के दोगुने के बराबर राशि उस पर अधिरोपित करेगा।

(6) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां किसी व्यवहारी ने इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से प्राप्त किया है वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी इनपुट कर के ऐसे प्रत्यय को प्रतिवर्तित कर देगा और ऐसे व्यवहारी पर-

- (क) ऐसे मामले में जिसमें ऐसा प्रत्यय मिथ्या या कूटरचित मूपक बीजक के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ऐसे गलत प्रत्यय की रकम के चार गुने के बराबर शास्ति; और
- (ख) अन्य मामलों में, ऐसे गलत प्रत्यय की रकम के दोगुने के बराबर रकम, शास्ति के रूप में अधिरोपित करेगा।

(7) जहां कोई भी व्यक्ति या व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या गठित किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा दिये गये किसी भी निदेश के अनुसरण में दिये जाने के लिए अपेक्षित आंकड़े या अन्य सूचना, अनुज्ञात समय के भीतर-भीतर, देने में विफल रहा हो वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या व्यवहारी दस हजार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

(8) जहां कोई भी व्यक्ति या व्यवहारी-

- (i) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत या गठित, किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निदेश का पालन करने में विफल रहता है; या
- (ii) इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये नियमों के ऐसे किन्हीं भी उपबंधों का अतिक्रमण करता है जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति, इस अधिनियम या नियमों के अधीन अन्यत्र उपबंधित नहीं की गयी है,

वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा यथा-प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या व्यवहारी पच्चीस हजार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

(9) इस अधिनियम के अधीन कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि संबंधित व्यवहारी या व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

41. शास्ति के बदले अपराधों का शमन.- (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा 33 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अधीन या धारा 35 की उप-धारा (7) या उप-धारा (13) के अधीन अपने द्वारा किये गये अपराध को स्वीकार करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शास्ति के बदले, ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये,-

(क) धारा 35 की उप-धारा (7) या उप-धारा (13) के अधीन किये गये अपराध की दशा में अन्तर्वलित माल पर उदगृहणीय कर की चार गुनी रकम के या ऐसे माल के मूल्य की पच्चीस प्रतिशत के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगा;

(ख) धारा 33 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अधीन किये गये अपराध की दशा में परिवर्जित या अपवंचित कर की रकम के बराबर, शमन-रकम स्वीकार कर सकेगा।

(2) धारा 37 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों के शमन के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं हो सकेगी या अस्तित्व में नहीं रह सकेगी।

42. प्रवेश करने, लेखाओं और माल के निरीक्षण और अभिग्रहण की शक्ति और संचरण के दौरान माल का निरीक्षण.- (1) किसी निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के साथ, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, इस निमित्त प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक के किसी भी अधिकारी को-

- (क) किसी व्यवहारी के कारबार के स्थान या किसी भी ऐसे अन्य स्थान का, जिसके बारे में ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को यह विश्वास हो कि ऐसे व्यवहारी द्वारा कारबार किया जा रहा है या लेखे रखे जा रहे हैं, निरीक्षण या सर्वेक्षण करने;

- (ख) ऐसे व्यवहारी को, उसके कारबारी क्रियाकलापों से संबंधित लेखे, रजिस्टर और इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों सहित दस्तावेज, परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने का निदेश देने;
- (ग) व्यवहारी के कब्जे में के या ऐसे व्यवहारी के निमित्त किसी भी अन्य व्यक्ति के कब्जे में के माल का, जहां कहीं ऐसा माल रखा जाता हो, निरीक्षण करने;
- (घ) जहां कारबार से संबंधित तथ्यों के छिपाये जाने का संदेह हो वहां ऐसे स्थान की, वहां पाये गये व्यक्ति सहित, तलाशी करने;
- (ङ) किन्हीं भी ऐसे परिसरों के दरवाजे को तोड़कर खोलने या किसी भी ऐसी अलमारी, संदूक, पात्र, जिसमें व्यवहारी के किसी भी माल, लेखाओं, रजिस्ट्रों या इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों सहित दस्तावेजों के छिपाये जाने का संदेह हो, को तोड़कर खोलने, यदि ऐसे परिसरों में, अलमारी, संदूक, या पात्र तक प्रवेश न करने दिया जाये;
- (च) व्यवहारी या उसके प्रबंधक, अभिकर्ता या नौकर के कथन अभिलिखित करने या किसी भी अभिलेख से उद्धरण लेने और लेखाओं, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों पर और किसी दरवाजे, अलमारी, संदूक या पात्र पर पहचान चिह्न, लगाने,-

की शक्ति होगी।

स्पष्टीकरण.- ऐसे माल, लेखाओं, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों के बारे में, जो किसी भी निरीक्षण या तलाशी के दौरान किसी व्यवहारी के कारबार के किसी भी स्थान पर पाये जायें, यह उपधारणा की जायेगी कि वे उसके कारबार से संबंधित हैं जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता।

(2) जहां कोई भी लेखे, रजिस्टर या इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों सहित दस्तावेज, इस अधिनियम के अधीन की किसी भी कार्यवाही में किसी भी निर्धारण प्राधिकारी या सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक के किसी भी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायें तो ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, छह मास से अनधिक की किसी कालावधि के लिए उन्हें अपनी अभिरक्षा में परिबद्ध कर और रख सकेगा, और व्यवहारी या किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसने ऐसे लेखे, रजिस्टर या इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों सहित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, उनकी एक रसीद देगा। व्यवहारी ऐसी प्रतिलिपि फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाये, ऐसे लेखाओं, रजिस्ट्रों या इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों सहित दस्तावेजों की प्रति प्राप्त कर सकेगा। तथापि, ऐसी प्रति तब तक नहीं दी जा सकेगी जब तक कि व्यवहारी, इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन संधारित किये जाने के लिए अपेक्षित शेष लेखाओं, विवरणों, रजिस्ट्रों और इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों सहित दस्तावेजों को, प्रस्तुत नहीं कर देता है।

(3) जहां निरीक्षण के समय, निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक के किसी भी अधिकारी के पास यह संदेह का कारण हो कि व्यवहारी कर का परिवर्जन या अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है या किसी भी रीति से अपने कर-दायित्व को छिपा रहा है वहां वह, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, व्यवहारी के ऐसे लेखाओं, रजिस्ट्रों या इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों सहित दस्तावेजों को अभिगृहीत कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे और व्यवहारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसे लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज अभिगृहीत किये जाते हैं, उनकी एक रसीद देगा और उन्हें परीक्षण, जांच, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही के लिए, छह मास से अनधिक की किसी कालावधि के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा। व्यवहारी, ऐसी प्रतिलिपि फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाये, अभिगृहीत अभिलेख की प्रतिलिपि अभिप्राप्त कर सकेगा। तथापि, ऐसी प्रति तब तक नहीं दी जा सकेगी जब तक कि व्यवहारी, इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन संधारित किये जाने के

लिए अपेक्षित शेष लेखाओं, विवरणों, रजिस्ट्रों और इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों सहित दस्तावेजों को, प्रस्तुत नहीं कर देता है।

(4) उप-धारा (2) के अधीन परिबद्ध या उप-धारा (3) के अधीन अभिगृहीत लेखे, रजिस्टर या इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों सहित दस्तावेज ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त कर लेने के पश्चात्, छह मास की कालावधि से परे भी और परिबद्ध या, यथास्थिति, अभिग्रहण करने की तारीख से अधिकतम दो वर्ष की किसी कालावधि तक, रखे जा सकेंगे।

(5) निर्धारण प्राधिकारी या उप-धारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई भी अन्य अधिकारी कर के दायी ऐसे किसी भी माल को अभिगृहीत कर सकेगा जो किसी व्यवहारी के कब्जे में या ऐसे व्यवहारी के निमित्त किसी भी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पाया जाये और जिसका उसके कारबार के अनुक्रम में संधारित उसके लेखाओं, रजिस्ट्रों या इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों सहित दस्तावेजों में लेखा-जोखा नहीं दिया हुआ हो और इस प्रकार अभिगृहीत माल की सूची ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी और उसकी प्रतिलिपि व्यवहारी या किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति को दी जायेगी जिसकी अभिरक्षा से ऐसा माल अभिगृहीत किया जाता है।

(6) जहां उप-धारा (4) के अधीन लेखाओं, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों या उप-धारा (5) के अधीन माल को अभिगृहीत करना साध्य नहीं हो, वहां निर्धारण प्राधिकारी या संबंधित अधिकारी स्वामी या ऐसे व्यक्ति पर, जिसका उन पर अव्यवहित कब्जा या नियन्त्रण है, यह आदेश तामील कर सकेगा कि वह ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना उन्हें न तो हटायेगा, न अलग करेगा और न ही अन्यथा व्यवहार करेगा जो, ऐसा आदेश तामील करने के पश्चात्, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो परिस्थितियों के अधीन आवश्यक समझी जाये।

(7) निर्धारण प्राधिकारी या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच कर लेने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, लेखा-जोखा रहित माल के कब्जे के लिए, चाहे वह उप-धारा (5) के अधीन अभिगृहीत किया गया हो या नहीं, उस पर, ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय कर की पांच गुना रकम के या ऐसे माल के मूल्य के तीस प्रतिशत के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी माल को, यदि अभिगृहीत किया गया हो तो, अधिरोपित शास्ति के संदाय पर या उसके संदाय के लिए ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो वह आवश्यक समझे, निर्मुक्त कर सकेगा।

(8) जहां कोई भी माल राजस्थान राज्यक्षेत्र के भीतर संचलन में हो, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर के किसी भी स्थान पर, ऐसे माल को ले जाने वाले यान या वाहक या व्यक्ति को निरीक्षण के लिए रोक सकेगा, जैसा इस संबंध में अधिसूचित किया जाये।

(9) किसी यान या वाहक या संचलन में के माल के ऐसे स्वामी या ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत स्वामी या कोई व्यक्ति-

(क) यान या वाहक को उप-धारा (8) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनु देशित किये जाने पर जांच के लिए रोकेगा;

(ख) “चालानों” और “बिल्टियों” सहित माल यान का अभिलेख, बीजक, विहित घोषणा प्ररूप, और विक्रय के बिल या डिस्पैच मेमो अपने साथ ले जायेगा;

(ग) माल से संबंधित विहित घोषणा प्ररूपों सहित सभी दस्तावेज उप-धारा (8) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(घ) माल से संबंधित अपने कब्जे में की सारी सूचना देगा; और

(ङ) उप-धारा (8) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा माल का निरीक्षण अनुज्ञात करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, 'संचलन में का माल', से अभिप्रेत है-

- (i) ऐसा माल, जो किसी परिवहन अभिकरण या व्यक्ति या अन्य ऐसे उपनिहिती के कब्जे या नियंत्रण में है;
- (ii) ऐसा माल, जो ऐसे माल के स्वामी के यान या वाहक में लाया जा रहा है; और
- (iii) ऐसा माल, जो किसी व्यक्ति द्वारा ले जाया जा रहा है।

(10) जहां छूट प्राप्त माल से भिन्न संचलन में का कोई भी माल, दस्तावेजों के बिना हो, या बीजकों, "चालान" और "बिल्टी" सहित माल यान अभिलेख, विहित घोषणा प्ररूप और विक्रय के बिल या डिस्पैच मेमो या इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों सहित दस्तावेज से समर्थित नहीं हो या प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मिथ्या या कूटरचित प्रतीत हों वहां निर्धारण प्राधिकारी या उप-धारा (8) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी-

- (क) यान या वाहक के या माल के स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति को, कोई सत्यापन किये जाने तक या कोई जांच किये जाने तक, जिसमें सात दिन से अधिक समय नहीं लगेगा, पुनर्परिवहन या पुनर्बुकिंग के सहित माल के किसी भी रीति से अलग नहीं किये जाने का निदेश दे सकेगा;
- (ख) माल को, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, अभिगृहीत कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को माल की रसीद देगा जिसके कब्जे या नियंत्रण से वह अभिगृहीत किया गया है;
- (ग) खण्ड (ख) के अधीन अभिगृहीत माल को माल के स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के लिए कार्यवाही के दौरान, निर्मुक्त कर सकेगा:-
 - (i) यदि उप-धारा(13) के अधीन यथाउपबंधित शास्ति जमा करा दी गयी है; या
 - (ii) यदि माल के प्राक्कलित मूल्य के बराबर की रकम की पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी जाती है।

(11) यदि कोई परिवाहक ऐसे समय के भीतर, जो विनिर्दिष्ट किया जाये, माल भेजने वाले, माल पाने वाले या माल के बारे में उप-धारा (9) के खण्ड (घ) के अधीन उससे यथा-अपेक्षित जानकारी देने में विफल रहता है या मिथ्या या कूटरचित दस्तावेजों के साथ माल का परिवहन करता है तो उप-धारा (13) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के अलावा यह उपधारणा की जायेगी कि इस प्रकार परिवहन किये गये माल का उसके द्वारा राजस्थान राज्य में विक्रय किया गया है और वह इस अधिनियम के अधीन उस माल के लिए व्यवहारी समझा जायेगा।

(12) इस अधिनियम के उपबन्ध, कर के उद्ग्रहण, संग्रहण और निर्धारण, ब्याज के अवधारण और कर और ब्याज के संदाय और वसूली, अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के प्रयोजन के लिए उप-धारा (11) के अधीन व्यवहारी समझे गये परिवाहक पर लागू होंगे।

(13) उप-धारा (8) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी माल के स्वामी को या ऐसे स्वामी द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या माल के प्रभारी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, माल के कब्जे या संचलन के लिए, चाहे वह अभिगृहीत किया गया हो या नहीं, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में या मिथ्या या कूटरचित दस्तावेज या घोषणा

प्रस्तुत करने के लिए, ऐसे माल के मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर शास्ति ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अधिरोपित करेगा।

43. व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के समन करने की शक्ति.- (1) निर्धारण प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए वह आवश्यक समझता है, उसी रीति से शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं.5) के उपबंधों के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गयी है।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी प्रत्येक जांच को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 229 और धारा 267 के अर्थान्तर्गत 'न्यायिक कार्यवाहियां' समझा जायेगा।

44. अपील प्राधिकारी को अपील.- (1) धारा 40 के अध्यक्षीन रहते हुए, किसी संयुक्त आयुक्त, किसी उप-आयुक्त, या किसी सहायक आयुक्त के किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, अपील प्राधिकारी को होगी।

(2) अपील फाईल करने की समय सीमा और अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली अपील की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाये।

(3) अपील प्राधिकारी, किसी भी अपील का निपटारा करने से पूर्व, ऐसी और जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, या निर्धारण प्राधिकारी या अधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, और जांच करने और अपील प्राधिकारी को उसके परिणाम की रिपोर्ट करने का निदेश दे सकेगा और अपील का निपटारा करने में उक्त प्राधिकारी,-

(क) निर्धारण, ब्याज या शास्ति के किसी आदेश के मामले में,-

(i) निर्धारण, ब्याज या शास्ति को पुष्ट कर सकेगा, बढ़ा सकेगा, कम या बातिल कर सकेगा; या

(ii) निर्धारण, ब्याज या शास्ति के आदेश को अपास्त कर सकेगा और निर्धारण प्राधिकारी को, ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो निदिष्ट की जाये, नया आदेश पारित करने का निदेश दे सकेगा; और

(ख) किसी भी अन्य आदेश के मामले में, ऐसे आदेश को पुष्ट, रद्द, फेरफारित या प्रतिप्रेषित कर सकेगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाईल नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलार्थी ने-

(क) आक्षेपित आदेश से उद्धृत कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की रकम के ऐसे भाग का पूर्ण रूप से संदाय नहीं किया हो, जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाईल की गयी है, से उद्धृत विवाद में कर की शेष रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, का संदाय नहीं किया हो:

परन्तु धारा 35 की उप-धारा (13) के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलार्थी द्वारा शास्ति की पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि संदत्त नहीं कर दी गयी हो।

(5) जहां अपीलार्थी उप-धारा (4) के अधीन रकम संदत्त कर चुका है वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निपटारे तक स्थगित की गयी समझी जाएंगी।

45. बोर्ड को अपील.- (1) निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील, बोर्ड को होगी-

(क) धारा 41 की उप-धारा (1) या उप-धारा (5) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश;

(ख) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर बोर्ड के समक्ष कोई अपील फाइल कर सकेगा जिसको, वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील का किया जाना ईप्सित है, उसे लिखित रूप से संसूचित किया जाये।

(3) उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, आयुक्त या आयुक्त द्वारा विशेष रूप से या साधारण रूप से प्राधिकृत कोई अपर आयुक्त (प्रशासन), यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी आदेश से व्यथित हो तो, किसी भी अधिकारी को बोर्ड के समक्ष कोई अपील फाइल करने का निदेश दे सकेगा और ऐसा अधिकारी, ऐसी तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर-भीतर अपने हस्ताक्षरों से ऐसी अपील फाइल करेगा, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील का किया जाना ईप्सित है, आयुक्त या अपर आयुक्त को लिखित रूप से संसूचित किया जाये।

(4) प्रत्यर्थी, यह नोटिस प्राप्त होने पर कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील अपीलार्थी द्वारा फाइल कर दी गयी है, इस बात के होने पर भी कि उसने ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की है, नोटिस की प्राप्ति के, वाणिज्य कर विभाग के किसी अधिकारी के मामले में, एक सौ बीस दिन के भीतर-भीतर और किसी व्यवहारी के मामले में, साठ दिन के भीतर-भीतर, उक्त निर्दिष्ट आदेश के किसी भी भाग के विरुद्ध, विहित रीति से सत्यापित, प्रत्याक्षेपों का कोई ज्ञापन फाइल कर सकेगा और ऐसा ज्ञापन, बोर्ड द्वारा इस प्रकार निपटाया जायेगा मानो वह उप-धारा (2) या (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर की कोई अपील हो।

(5) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलार्थी ने-

(क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की रकम के ऐसे भाग का पूर्ण रूप से संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गयी है, से उद्भूत विवाद में कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम पचास करोड़ रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए, का संदाय नहीं किया हो।

(6) जहां अपीलार्थी उप-धारा (5) के अधीन रकम संदत्त कर चुका है, वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निपटारे तक स्थगित की गयी समझी जायेंगी।

(7) बोर्ड, परिसीमा की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा या प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन का फाइल किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान कर दिया जाये कि उन्हें उस परिसीमा के भीतर-भीतर फाइल नहीं किये जाने का पर्याप्त कारण था।

(8) बोर्ड को कोई अपील विहित प्ररूप में की जायेगी और विहित रीति से सत्यापित की जायेगी।

(9) बोर्ड, अपील के दोनों ही पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और उसकी एक-एक प्रति अपीलार्थी, निर्धारण प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी थी, और आयुक्त को भेजेगा।

46. उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण.- (1) धारा 38 की उप-धारा (9) या धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यवहारी ऐसे आदेश की तामील की तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर, ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए, विहित फीस के साथ, विहित प्ररूप में उच्च न्यायालय को इस आधार पर आवेदन कर सकेगा कि उसमें विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित है।

(2) आयुक्त, यदि वह धारा 38 की उप-धारा (9) या धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा पारित किसी भी आदेश से व्यथित हो तो, किसी भी अधिकारी को, ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए इस आधार पर कि उसमें विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित है, उच्च न्यायालय को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा और ऐसा अधिकारी ऐसी तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर-भीतर उच्च न्यायालय को आवेदन करेगा, जिसको पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश आयुक्त को लिखित रूप में संसूचित किया जाये।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन में पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश में अन्तर्वलित विधि के प्रश्न का कथन होगा और उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न को किसी भी रूप में निश्चित कर सकेगा या कोई भी विधि का अन्य प्रश्न उठाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(4) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण के पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, उसे कथित किये गये या उसके द्वारा निश्चित किये गये विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और तत्पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा जो मामले को निपटाने के लिए आवश्यक हो।

47. कतिपय मामलों में किसी अपील या पुनरीक्षण का नहीं होना.- धारा 37, 38 और 39 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई भी अपील या पुनरीक्षण,-

- (क) कथन अभिलिखित करने सहित निर्धारण के प्रयोजन के लिए या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस या समन; या
- (ख) कतिपय लेखे संधारित करने या कतिपय सूचना, विवरण, आंकड़े या विवरणी देने के किसी निदेश; या
- (ग) लेखाओं, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों के परिबद्ध, अभिग्रहण या प्रतिधारण करने के किसी आदेश; या
- (घ) निर्धारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अन्तरिम आदेश, तथापि, इस बात के अध्यधीन रहते हुए कि ऐसे अन्तरिम आदेश को अंतिम आदेश के विरुद्ध की गयी किसी भी अपील या पुनरीक्षण में आक्षेपित करने के लिए व्यथित पक्षकार स्वतंत्र होगा; या
- (ङ) धारा 41 की उप-धारा (3), (6), (7), (8) और (9) के अधीन आयुक्त द्वारा निश्चित किये गये किन्हीं भी दिशा-निर्देशों, जारी किये अनुदेशों, दिये गये निदेशों या पारित किये गये आदेशों,

के विरुद्ध नहीं होगा।

48. आयुक्त की शक्तियां.- (1) (i) जहां न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही से अन्यथा या धारा 21, 22 और 23 के अधीन किसी भी कार्यवाही में, कोई भी ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो आया कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए-

- (क) कोई व्यक्ति कोई व्यवहारी है; या
- (ख) किसी व्यवहारी विशेष को रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है; या
- (ग) कोई भी संव्यवहार कोई विक्रय है और यदि ऐसा है तो उसकी विक्रय कीमत क्या है; या
- (घ) किसी भी विक्रय या क्रय विशेष के संबंध में कोई भी कर संदेय है या यदि कर संदेय है तो उसका बिन्दु और दर क्या है; या
- (ङ) किसी भी माल के संबंध में की गयी कोई बात विशेष जो माल के विनिर्माण की कोटि में आती है या उसमें परिणित होती है; या
- (च) कोई व्यवहारी इनपुट कर प्रत्यय की किसी भी विशिष्ट रकम का हकदार है,

वहां आयुक्त स्वप्रेरणा से या विहित रीति से फाइल किये गये आवेदन पर, ऐसे प्रश्न को अवधारित करने का

कोई आदेश करेगा।

(ii) जहां ऐसा कोई भी प्रश्न इस अधिनियम के अधीन पहले से पारित किसी भी आदेश से उत्पन्न हो वहां ऐसा कोई भी प्रश्न इस धारा के अधीन अवधारित किये जाने के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा किन्तु ऐसा प्रश्न संबंधित पक्षकार द्वारा ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील में या पुनरीक्षण के रूप में उठाया जा सकेगा।

(iii) खण्ड (i) के अधीन आयुक्त निदेश दे सकेगा कि अवधारण से इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति के दायित्व पर, अवधारण के पूर्व किये गये किसी भी विक्रय या क्रय के संबंध में प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) जहां खण्ड (i) में पारित आयुक्त का कोई आदेश किसी भी रूप में अपील या पुनरीक्षण में उपान्तरित कर दिया जाये, वहां उपान्तरित आदेश ऐसी अपील या पुनरीक्षण में पारित किये गये आदेश की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) (i) आयुक्त स्वप्रेरणा से या किसी व्यवहारी द्वारा आवेदन फाइल करने पर इस अधिनियम के अधीन किसी भी मामले को एक अधिकारी या प्राधिकारी से अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को निम्नलिखित आधारों पर अंतरित कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) अधिकारिता का विवाद; या

(ख) न्याय हानि की आशंका; या

(ग) कारबारी सुविधा।

(ii) खण्ड (i) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी भी समय, प्रशासनिक कारणों से, कोई भी मामला या मामले संबंधित व्यवहारी या व्यवहारियों को कोई भी नोटिस दिये बिना, एक अधिकारी या प्राधिकारी से अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को अन्तरित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अधीन किसी भी व्यवहारी के संबंध में शब्द 'मामला' से ऐसी कोई भी कार्यवाही अभिप्रेत होगी जो खण्ड (i) के अधीन किये गये आदेश की तारीख को इस अधिनियम के अधीन लंबित हो या जो ऐसी तारीख को या उसके पूर्व पूरी हो गयी होती या जो ऐसी तारीख के पश्चात् प्रारम्भ हो।

(3) किसी व्यवहारी द्वारा फाइल किये गये आवेदन पर आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा किसी विवरणी में स्वतः निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से भिन्न संदाय को धारा 14 के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन रहते हुए ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जायें, के अध्यधीन रहते हुये चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा:

परन्तु जहां किसी नियत तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यतिक्रम होता है तो ऐसी तारीख को संदेय समस्त बकाया शोध्य हो जायेगा और तुरन्त संदेय होगा तथा बिना और किसी सूचना के ऐसे व्यवहारी पर तामील किये बिना वसूली का दायी होगा।

(4) आयुक्त, यदि वह यह समझता कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम द्वारा या के संबंध में किये गये किसी मामले से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण करने का निदेश दे सकेगा। ऐसी अधिसूचना जारी होने पर, आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसे किसी मामले से संबंधित, जिसके संबंध में, सांख्यिकियों का संग्रहण किया जाना है, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा।

(5) (i) आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा इस अधिनियम के अधीन की किसी भी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और यदि उसका यह विचार हो कि अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उप-आयुक्त और सहायक आयुक्त द्वारा उसमें पारित कोई भी आदेश या तो गलत है या राज्य राजस्व के हित के प्रतिकूल है, वह ऐसी जांच करने या कराने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, और व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निदेश जारी कर सकेगा, जो वह मामले की परिस्थितियों के अधीन उचित समझे।

(ii) खण्ड (i) के अधीन कोई भी आदेश या निदेश आयुक्त द्वारा पारित या जारी नहीं किया जायेगा यदि ऐसी तारीख से पांच वर्ष की कालावधि पहले ही बीत गयी हो, जिसको पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश पारित किया गया था।

(6) आयुक्त, इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित समस्त अधिकारियों और व्यक्तियों को समय-समय पर ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश जारी कर सकेगा जिसे वह इस अधिनियम के प्रशासन के लिए ठीक समझे और ऐसे समस्त अधिकारी और व्यक्ति आयुक्त के ऐसे आदेशों, निर्देशों और निदेशों का पालन और अनुसरण करेंगे।

(7) शासकीय उपयोग के प्रयोजनों के लिए आयुक्त, किसी भी समाचार पत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझे, नोटिस देकर सभी व्यवहारियों से या व्यवहारियों के किसी भी वर्ग से या व्यक्तियों से ऐसी सूचना, विवरण या विवरणी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो इस निमित्त जारी किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये।

(8) उप-धारा (6) के अधीन जारी किये गये ऐसे कोई भी आदेश, अनुदेश या निदेश जारी नहीं किये जायेंगे जो किसी अपील प्राधिकारी के उसके अपीलीय कृत्यों के प्रयोग के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करते हों।

(9) पूर्वगामी शाक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा आवेदन करने पर, निर्धारणों और राजस्व के संग्रहण के कार्य में एकरूपता बनाये रखने के प्रयोजन के लिए, यदि वह ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है तो इस अधिनियम के अधीन दायी माल के संबंध में इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की दर स्पष्ट कर सकेगा और इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित समस्त अधिकारी और व्यक्ति ऐसे स्पष्टीकरण का पालन और अनुसरण करेंगे।

(10) उप-धारा (9) के अधीन ऐसा कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि इसके साथ ऐसी फीस, जो ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, संदत्त की जाये के संदाय का सबूत संलग्न न हो।

49. राज्य सरकार की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के अधीन निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शाक्ति का प्रयोग राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) (i) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,-

(क) माल;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है, को, जिन्हें इस उप-धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(ii) राज्य सरकार, खण्ड (i) के उप-खंड (क) में के निर्दिष्ट माल के संबंध में,-

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किये जाएं, विशिष्ट पहचान चिन्हांकन

चिपकाने में और इलेक्ट्रानिक भंडारण के लिए और उसमें अन्तर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी; और

(ख) ऐसे माल के लिए विशिष्ट पहचान चिन्हांकन को विहित कर सकेगी, जिसके अन्तर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली सूचना भी सम्मिलित है।

(iii) खण्ड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति,-

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अन्तर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति से कोई विशिष्ट पहचान चिन्हांकन चिपकायेंगे;

(ख) ऐसे समय के भीतर ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से ऐसे अभिलेख और दस्तावेज संधारित करेंगे;

(ग) ऐसे माल, जिसके अन्तर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की कालावधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में स्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से प्रस्तुत करेंगे;

(घ) खण्ड (ii) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में ऐसी रकम का संदाय करेंगे, जो विहित की जाए।

50. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) जहां इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई भी कठिनाई उद्भूत हो वहां, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत नहीं हों और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

51. नियम बनाने की शक्ति.- राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी। इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिनमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो उक्त नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण तद्दीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

52. कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज को अधित्यक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, व्यवहारियों के किसी वर्ग के लिए किसी कालावधि के लिए संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।

53. कर की रिबेट.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से, ऐसे

व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, कर की पूरी रकम तक रिबेट अनुज्ञात कर सकेगी।

54. संक्रमणकालीन उपबंध.- (1) धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यवहारी, निरसित अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी, नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली कालावधि से संबंधित, विवरणी में अग्रणीत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के अधीन यथा उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम, यदि कोई हो, आयुक्त द्वारा अवधारित की जाने वाली रीति से, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा करने का हकदार होगा।

(2) इस धारा में यथा उपबंधित के सिवाय, नियत दिवस के पूर्व की गयी किसी संविदा के अनुसरण में नियत दिवस को या उसके पश्चात् विक्रय किया गया माल या सेवाओं या दोनों इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के दायित्वाधीन होंगे।

(3) किसी इनपुट कर प्रत्यय के लिए दावे के संबंध में निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह निरसित अधिनियम के अधीन नियत दिवस को, उससे पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गयी हो, निरसित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटायी जायेगी।

(4) जहां किसी निर्धारण की कार्यवाहियां, निरसित अधिनियम के अधीन चाहे नियत दिवस को, उससे पूर्व या उसके पश्चात्, संस्थित की गयी हों, के अनुसरण में कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की कोई रकम उस व्यक्ति से वसूलीय हो जाती है, तो वह जब तक निरसित अधिनियम के अधीन वसूली न कर ली गयी हो, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूली की जायेगी और इस प्रकार वसूल की गयी रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

55. संरक्षण.- राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या पदधारी के विरुद्ध ऐसी किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी जो इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो।

56. स्वचलित प्रणाली.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) और तद्दीन बनाये गये नियमों और दिये गये निदेशों में अन्तर्विष्ट उपबंध, जिनमें डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स, संकेतन, इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अभिस्वीकृति और प्रेषण, सुरक्षित इलेक्ट्रानिक अभिलेख प्राप्त करने और सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, प्राप्त करने से संबंधित उपबंध सम्मिलित हैं, जहां तक उन्हें लागू किया जा सके, यावत्साध्य इस अधिनियम के अधीन की प्रक्रियाओं को लागू होंगे।

(2) जहां किसी व्यवहारी या उसके कारबार प्रबंधक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की राजकीय वेबसाइट के माध्यम से कोई विवरणी, आवेदन, संसूचना या सूचना इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत की जाती है, वहां ऐसी विवरणी, आवेदन, संसूचना या सूचना उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी समझी जायेगी, यदि उस व्यवहारी या कारबार प्रबंधक या व्यक्ति ने विहित रीति से इस ई-फाईलिंग के लिए वेबसाइट का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दी है:

परन्तु ऐसा व्यवहारी या कारबार प्रबंधक या व्यक्ति जिसने विभाग की राजकीय वेबसाइट का उपयोग करने की सहमति दी हो, वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किये गये ऐसे ई-दस्तावेजों को अस्वीकार या उनका प्रत्याख्यान नहीं करेगा।

57. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के उपबंधों का लागू होना.- इस अधिनियम और तद्धीन बनाये जाने वाले नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) के उपबंध, इस अधिनियम में उपबंधित नहीं किये गये समस्त अन्य आनुषंगिक और प्रकीर्ण मामलों के लिए यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

58. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.4) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को और उससे निरसित हो जायेगा और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं.8) के उपबन्ध ऐसे निरसन पर लागू होंगे।

(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-

- (क) निरसित अधिनियम के अधीन की गयी कोई भी बात, या की गयी कोई भी कार्यवाही, जिसमें की गयी या जारी की गयी कोई भी नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम या प्ररूप, प्रदत्त प्राधिकार या शक्तियां, जारी की गयी आदेशिकाएं सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गयी या जारी की गयी समझी जायेगी जहां तक कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं हो और तदनुसार प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गयी किसी बात या किसी कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाये।
- (ख) निरसित अधिनियम के अधीन गठित कोई भी प्राधिकारी या बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गठित किया हुआ समझा जायेगा।
- (ग) उपान्तरित परिसीमाएं या इस अधिनियम में उपबंधित नयी पुरःस्थापित परिसीमाएं भविष्यलक्षी रूप से लागू होंगी और इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पूर्व घटित सभी घटनाएं और उद्भूत सभी विवादक निरसित अधिनियम में उपबंधित परिसीमाओं या अन्तर्विष्ट उपबन्धों से विनियमित होंगे।

अनुसूची-1

[धारा 7 की उप-धारा (1) देखिए]

निम्नलिखित दर पर कराधेय माल

क्र.सं.	माल का विवरण	कर की दर %	शर्त, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल ऑयल	17.30	
2.	पेट्रोल	29.04	
3.	एविएशन टरबाईन फ्यूल (एटीएफ)	26	
4.	पेट्रोलियम क्रूड	5	
5.	तरलीकृत या गैसीय नेचुरल गैस	10	
6.	कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी)	10	
7.	पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी)	10	
8.	देशी शराब	10	
9.	विदेशी शराब, भारत में विनिर्मित विदेशी शराब और बीयर।	30	
10.	माल जो उक्त प्रविष्टियों में उल्लिखित नहीं है।	5.5	

अनुसूची-2
(धारा 9 की उप-धारा (2) देखिए)
व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट

क्र.सं.	व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट	शर्त, यदि कोई हों
1.	संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी घटक एजेन्सियां	
2.	विदेशी राजनयिक मिशन और उनके राजनयिक	
3.	(i) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, या (ii) रेजीमेंटल या सेना यूनिटों से संबद्ध यूनिट-रन कैन्टीन	
4.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	
5.	भारतीय रेलवे	
6.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लि., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	
7.	एयरलाईन्स, जो राज्य के ऐसे शहरों को पहली बार जोड़ती हैं, जिनमें हवाई सेवा नहीं है	
8.	प्रशिक्षण के लिए स्थापित रजिस्ट्रीकृत फ्लाइंग क्लब	
9.	राजस्थान में बी एस एफ कैन्टीन	
10.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये रिटेल ऑफ लाइसेंस धारक व्यवहारी	
11.	(i) जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. (ii) अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि.	
12.	राजस्थान में सी आई एस एफ कैन्टीन	
13.	राजस्थान में सी आर पी एफ कैन्टीन	
14.	राज्य में हाई एण्ड लाइट स्पीड डीजल आयल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
15.	मैसर्स राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	
16.	किसी ऐसी एयरलाईन, जो राजस्थान राज्य में और/या से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन करती है, को एविएशन टरबाइन फ्यूल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
17.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये देशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति धारक व्यवहारी	

18.	पेट्रोलियम कंपनियों के खुदरा आउटलेट वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
19.	नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी “रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उड़ान” में यथा परिभाषित आरसीएस उड़ानों को संचालित करने वाले एयरलाइन आपरेटर को राज्य के भीतर अवस्थित आरसीएस एयरपोर्ट पर एविएशन टरबाइन फ्यूल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
20.	विनिर्माताओं और संकर्म ठेकेदारों और खनन में लगे हुआँ को, जो राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, को हाई स्पीड डीजल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी	
21.	मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.	
22.	आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिटेल ऑफ अनुज्ञप्तियां नहीं रखने वाले व्यवहारियों/व्यक्तियों को विक्रय की गयी विदेशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर	
23.	राज्य में नागर विमानन निदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी फ्लाईंग ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन और एयरक्राफ्ट टाईप ट्रेनिंग आर्गनाइजेशन को एविएशन टरबाइन फ्यूल विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी।	

”।

59. स्वतंत्र अधिनियम संख्यांक और खण्डों के धाराओं के पुनर्संख्यांकन की उद्घोषणा.- (1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025 के अधिनियमित होने पर, एक स्वतंत्र अधिनियम समझा जायेगा और राज्य सरकार द्वारा, विधायी प्रक्रिया के अनुसार, पृथक् अधिनियम संख्यांक समनुदेशित किया जायेगा। इस वित्त अधिनियम का निरसन और संशोधन, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025 के एक पृथक् विधि के रूप में जारी प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेंगे।

(2) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2025 के पृथक् अधिनियम के रूप में प्रकाशन के समय, विधेयक के खण्ड 8 से 58 क्रमशः धारा 1 से 51 के रूप में पुनर्संख्यांकित किये जायेंगे। इन खण्डों के भीतर आयी धारा या उप-धारा, खण्डों या उप-खण्डों के समस्त संदर्भों को तदनुसार, पढ़ा और अर्थान्वयन किया जायेगा।

ब्रजेन्द्र जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, March 28, 2025

No. F. 2(17)Vidhi/2/2025.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vitt Adhiniyam, 2025 (2025 Ka Adhiniyam Sankhyank 5):-

**(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2025
(Act No. 5 of 2025)**

(Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2025)

An

Act

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998, the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2025-26; and to enact the Rajasthan Value Added Tax Act, 2025 in regard to sale of goods included in Entry 54 of List II-State List of the Seventh Schedule (Article 246) to the Constitution of India.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2025.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3, 4, 5 and 6 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule to the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999),-

- (i) in Article 33, for the existing expression "The same duty as on a conveyance (No. 21) on the market value of the property", appearing under Column No. 2 against

clause (vii) of the said Article under Column No. 1, the expression "Six percent on the market value of the property" shall be substituted;

- (ii) for the existing sub-clause (i) of clause (e) of Article 44 under Column No. 1, the following shall be substituted, namely:-

"(i) the father, mother, brother, sister, wife, husband, son, daughter, daughter-in-law, son's son, son's daughter, daughter's son or daughter's daughter of the executant;"

- (iii) in Article 50, for the existing expression "Subject to a minimum of rupees one thousand, half (0.5) percent of the amount secured.", appearing under Column No. 2, the expression "Subject to a minimum of rupees one thousand, half (0.5) percent of the amount secured and/or of the market value of the property mortgaged, as the case may be." shall be substituted.

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

4. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 7 of 2005.- For the existing clause (f) of the first proviso to the section 6 of the Rajasthan Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (Act No. 7 of 2005), the following shall be substituted, namely:-

“(f) due to additional borrowing of 0.50 per cent of Gross State Domestic Product, allowed by Central Government based on performance criteria in the power sector and/or for any other specific purpose:”.

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

5. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In sub-section (1) of section 17 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing expression “and any officer of the State Directorate of Revenue Intelligence not below the rank of Revenue Intelligence Officer”, the expression “, Motor Vehicle Sub-Inspector and Motor Vehicle Inspector of Transport Department posted at Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences and any officer of the Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences not below the rank of Deputy Director and Revenue Intelligence Officer” shall be substituted.

6. Amendment of section 18, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In section 18 of the principal Act, for the existing expression “and any officer of the State Directorate of Revenue Intelligence not below the rank of Revenue Intelligence Officer”, the expression “, Motor Vehicle Sub-Inspector and Motor Vehicle Inspector of Transport Department posted at Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences and any officer of the Directorate of Revenue Intelligence and Economic Offences not below the rank of Deputy Director and Revenue Intelligence Officer” shall be substituted.

CHAPTER V

ENACTMENT OF THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2025

7. The Rajasthan Value Added Tax Act, 2025 shall be enacted in the following way, namely:-

“The Rajasthan Value Added Tax Act, 2025

An

Act

to introduce the concept of payment of tax through electronic ledgers and to remove the provisions of mandatory assessment of each year and prosecution for offences; and to simplify the process of levy of value added tax.

8. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Value Added Tax Act, 2025.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette appoint and the State Government may appoint different dates for the commencement of the different provisions of this Act.

9. Definitions.- (1) In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

- (1) “**appellate authority**” means any officer not below the rank of the Additional Commissioner authorized as such by the Commissioner;
- (2) “**Assessing Authority**” means any officer not below the rank of Assistant Commissioner, authorized as such by the Commissioner;
- (3) “**assessment**” means determination of liability under this Act;
- (4) “**audit**” means the examination of records, returns and other documents maintained or furnished by the dealer under this Act or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force to verify the correctness of turnover declared, taxes paid, refund claimed and input tax credit availed, and to assess his compliance with the provisions of this Act or the rules made thereunder;
- (5) “**auditor**” means any officer not below the rank of Assistant Commissioner authorized as such by the Commissioner;
- (6) “**appointed day**” means the date on which the provisions of this Act shall come into force;
- (7) “**Board**” means the Board as established under section 4 of Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No.15 of 1956);
- (8) “**business**” includes-
 - (a) any trade, commerce, manufacture, or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit;

- (b) any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to sub-clause (a);
 - (c) any activity or transaction in the nature of sub-clause (a), whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction;
 - (d) supply or purchase of goods in connection with commencement or closure of business;
 - (e) provision by a club, association, society, or any such body (for a subscription or any other consideration) of the facilities or benefits to its members;
 - (f) any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities;
- (9) “**Commissioner**” means a person appointed by the State Government to be the Commissioner of Commercial Taxes Department and shall include the Chief Commissioner and Special Commissioner appointed under section 3;
- (10) “**City Gas Distribution Network Entity**” means the entity notified as such by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board of India for the distribution of Natural Gas in the State;
- (11) “**dealer**” means any person, who carries on business in any capacity, of buying, selling, supplying or distributing goods directly or otherwise, or making purchases or sales as defined in clause (36) for himself or others, whether for cash or deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration and shall include-
- (i) a factor, broker, commission agent, del credere agent or any other mercantile agent, by whatever name called, and whether of the same description as hereinbefore mentioned or not, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing any goods belonging to any principal whether disclosed or not;
 - (ii) an auctioneer, who sells or auctions goods belonging to any principal, whether disclosed or not and whether the offer of the intending purchaser is accepted by him or by the principal or a nominee of the principal;
 - (iii) a manager or an agent, of a non-resident dealer who buys, sells, supplies or distributes goods in the State belonging to such dealer;
 - (iv) any society, club, trust or other association, whether incorporated or not, which buys goods from or sells goods to its members;
 - (v) the Central or any State Government or any of their Departments or offices which, whether or not in the course of business, buy, sell, supply or distribute goods, directly or otherwise, whether for cash or

deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration; and

- (vi) any trading, commercial or financial establishment including a bank, an insurance company, a transport company and the like which, whether or not in the course of its business, buys, sells, supplies or distributes goods, directly or otherwise, whether for cash or deferred payment, commission, remuneration or other valuable consideration;
- (12) “**designated portal of the State**” means the electronic portal as notified by the State Government for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns and for carrying out such other functions and for such purposes as may be prescribed;
- (13) “**electronic cash ledger**” means the electronic cash ledger referred to in sub-section (2) of section 13;
- (14) “**electronic credit ledger**” means the electronic credit ledger referred to in sub-section (3) of section 13 ;
- (15) “**exempted goods**” means any goods exempted from tax in accordance with the provisions of this Act;
- (16) “**firm**”, “**partner**” and “**partnership**” shall have the meanings respectively assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (Central Act No. 9 of 1932);
- (17) “**goods**” means goods included in the Entry 54 of List II-State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India;
- (18) “**importer**” means a dealer who brings or causes to be brought into the State any goods or to whom any goods are dispatched from any place outside the State, for the purpose of sale or use in manufacturing and processing of goods for sale;
- (19) “**input tax**” means tax paid or payable by a registered dealer in the course of business, on the purchase of any goods made from a registered dealer;
- (20) “**invoice**” means a document containing such particulars as may be prescribed;
- (21) “**manufacture**” means processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term “**manufacturer**” shall be construed accordingly;
- (22) “**non-resident dealer**” means a dealer who effects purchases or sales of any goods in the State but who has no fixed place of business or residence in the State;
- (23) “**non-taxable supply**” means a supply of goods or services or both which is leviable to tax under Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No.

9 of 2017) or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act No.13 of 2017);

- (24) “**output tax**” means the tax charged or chargeable under this Act by a registered dealer in respect of the sale of goods in the course of his business;
- (25) “**person**” means any individual or association or body of individuals and includes a Hindu Undivided Family or Joint Family, a firm, a company whether incorporated or not, a co-operative society, a trust, a club, an institution, an agency, a corporation, a local authority, a Department of the Government or other artificial or juridical person;
- (26) “**place of business**” means any place in the State of Rajasthan where a dealer purchases or sells goods and includes,-
- (a) any warehouse, godown or other place where the dealer stores goods;
 - (b) any place where the dealer processes, produces or manufactures goods;
 - (c) any place where the dealer keeps his accounts, registers and documents;
 - (d) any vehicle or carrier wherein the goods are stored or business is carried on;
 - (e) any warehouse, railway station, railway goods yard, parcel office, or any other place where goods for transportation in the course of business or otherwise are kept by dealers;

Explanation.- The dealer shall declare one of the places of business as his “principal place of business” in the application for registration, and his final accounts, annual statements, registers and documents, whether maintained manually or electronically, shall necessarily be kept at such place;

- (27) “**prescribed**” means prescribed by rules made under this Act;
- (28) “**principal place of business**” means the place of business specified as the principal place of business in the certificate of registration;
- (29) “**raw material**” means goods used as an ingredient in the manufacture of other goods and includes processing material, consumables, preservative, fuel and lubricant required for the process of manufacture;
- (30) “**registered dealer**” means a dealer registered under the provisions of this Act;
- (31) “**repealed Act**” means the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);
- (32) “**resale**” means sale of goods without performing any operation on them which amounts to or results in a manufacture;

- (33) “**reverse tax**” means that part of the input tax for which credit has been availed in contravention of the provisions of section 12;
- (34) “**return**” means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this Act or the rules made thereunder;
- (35) “**rules**” means the rules made under this Act;
- (36) “**sale**” with all its grammatical variations and cognate expressions means every transfer of property in goods by one person to another for cash, deferred payment or other valuable consideration and includes-
- (i) a transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
 - (ii) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;
 - (iii) any delivery of goods on hire-purchase or other system of payment by instalments;
 - (iv) a transfer of the right to use goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;
 - (v) a sale of goods by an unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration; and
 - (vi) a sale, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such sale is for cash, deferred payment or other valuable consideration,

and such transfer, delivery or sale shall be deemed to be a sale and the word “purchase” or “buy” shall be construed accordingly;

Explanation.- Notwithstanding anything contained in this Act, where any goods are sold in packing, the packing material in such case shall be deemed to have been sold with the goods;

- (37) “**sale price**” means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I.- In the case of a sale by hire-purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II.- Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III.- Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

Explanation IV.- The amount received or receivable by oil companies for the sale of diesel and petrol to the retail outlets in the State shall be deemed to be equivalent to the price on which the retail outlets sell these commodities to the consumer;

Explanation V.- The amount received or receivable by City Gas Distribution Network entities (CGD) and/ or other dealers for the sale of Compressed Natural Gas (CNG) to the retail outlets in the State shall be deemed to be equivalent to the price on which the retail outlets sell these commodities to the consumer;

- (38) “**Schedule**” means a Schedule appended to this Act;
- (39) “**Special Economic Zone**” shall have the same meaning as has been assigned to it in clause (za) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No. 28 of 2005);
- (40) “**tax**” means any tax or other levy by any name leviable under the provisions of this Act;
- (41) “**tax period**” means the period for which the return is required to be furnished;
- (42) “**taxable goods**” means goods on the sale of which tax is levied under this Act;
- (43) “**taxable turnover**” means, that part of turnover, as may be determined after making such deductions from the total turnover as may be prescribed on which a dealer shall be liable to pay tax under this Act;
- (44) “**turnover in State**” means the aggregate value of all taxable sale and/or other supplies, turnover of exempted goods, exports of goods, inter-state sale of goods made from the State including non-taxable supply (excluding the value of purchases on which tax is payable by a person on reverse charge basis), but excludes any tax, surcharge or cess;
- (45) “**VAT invoice**” means an invoice containing such particulars as may be prescribed, and issued by a dealer authorized under this Act;

- (46) “**vehicle or carrier**” means any mode of transportation including human being or animal carrying goods from one place to another;
- (47) “**year**” means the period commencing from 1st April and ending on 31st March.

(2) Words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017) shall have the same meanings as assigned to them in that Act in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act.

10. Officers under this Act.- The State Government shall, by notification, appoint the following classes of officers for the purposes of this Act, namely:-

- (a) Chief Commissioner,
- (b) Special Commissioners,
- (c) Additional Commissioners,
- (d) Joint Commissioners,
- (e) Deputy Commissioners,
- (f) Assistant Commissioners, and
- (g) any other class of officers as it may deem fit:

Provided that, the officers of the State Government posted with designation of “Additional Commissioner”, “Deputy Commissioner”, “Assistant Commissioner”, “Commercial Taxes Officer”, “Assistant Commercial Taxes Officer”, “Junior Commercial Taxes Officer” or “Tax Assistant” shall be deemed to be the officers appointed under the provisions of this Act.

11. Appointment of officers.- (1) The Government may, in addition to the officers as may be notified under section 3, appoint such persons as it may think fit to be the officers under this Act.

(2) The Commissioner shall have jurisdiction over the whole of the State and the Special Commissioners in respect of all or any of the functions assigned to them, shall have jurisdiction over the whole of the State or where the State Government so directs, over any local area thereof, and all other officers shall, subject to such conditions as may be specified, have jurisdiction over the whole of the State or over such local areas as the Commissioner may, by order, specify.

12. Powers of officers.- (1) Subject to such conditions and limitations as the State Government or the Commissioner may impose, an officer of Commercial Tax Department may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on him under this Act.

(2) An officer of Commercial Tax Department may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed under this Act on any other officer of Commercial Tax Department who is subordinate to him.

(3) The Commissioner may, subject to such conditions and limitations as may be prescribed in this behalf by him, delegate his powers to any other officer who is subordinate to him.

13. Incidence of tax.- (1) Subject to the provisions of this Act, every dealer-

(a) who is an importer of goods; or

(b) whose turnover in State in a financial year is greater than such amount as may be notified by State Government,

shall be liable to pay tax under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a dealer other than those specified in clause (a) of sub-section (1) or the dealer or class of dealers as may be notified by the State Government, who purchases goods from a registered dealer of the State and sells, such goods or goods manufactured from such goods within the State, may opt for payment of tax on his turnover, at the rate as may be notified under sub-section (2) of section 7, subject to the condition that turnover in State in a financial year of such dealer does not exceed such amount as may be notified by the State Government.

(3) A dealer registered under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) who is not liable to pay tax under sub-sections (1) to (2), shall nevertheless be liable to pay tax in accordance with the provisions of this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, a dealer registered under this Act shall so long as his certificate of registration remains in force is liable to pay tax, irrespective of his turnover.

14. Levy of tax and its rate.- (1) Subject to the other provisions of this Act and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the tax payable by a dealer under this Act, shall be at such point or points, as may be prescribed, in the series of sales by successive dealers and shall be levied on the taxable turnover of sale of goods specified in Schedule-I at the rate mentioned against each of such goods in the said Schedule.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the tax payable by the dealer covered by sub-section (2) of section 6, shall be levied at the rate not exceeding five per cent on the turnover, as may be notified by the State Government:

Provided that the State Government may notify different rates for different class of dealers for this sub-section.

(3) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to, or omit from, or otherwise amend or modify the Schedule-I, prospectively or retrospectively, or reduce the rate of tax payable in respect of any goods and thereupon the said Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

(4) Every notification issued under sub-section (3) shall be laid, as soon as may be after it is so issued, before the House of the State Legislature, while it is in session for

period of not less than thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the sessions in which it is so laid or of the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in such notification or resolves that any such notification should not be issued, such notification thereafter shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may provide an option for payment of tax in a lump sum in respect of sales of such class of goods or by such class of dealers on such terms and conditions as may be notified in the Official Gazette.

(6) Notwithstanding anything contained in sections 6 and 7, the State Government may fix the amount of tax payable on the sale or purchase of certain goods or a class of goods in respect of a specified area or whole of the State, on the basis of weight, volume, measurement or unit, on such terms and conditions, as may be notified in the Official Gazette.

(7) A person who is not a dealer shall not collect in respect of any sale of goods any amount by way of tax under this Act.

(8) No registered dealer shall collect tax except in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(9) The burden of proving that any sale or purchase affected by any person is not liable to tax for any reason under this Act shall be on such person.

15. Levy of Surcharge.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be levied a surcharge from such date and at such rate not exceeding twenty per cent of the amount of tax, or any sum in lieu of tax, leviable on sale or purchase of such goods, as may be notified by the State Government, and shall be paid by the registered dealers.

(2) The provisions as they are applicable to the tax payable under this Act, shall, so far as may be, apply in relation to surcharge payable under sub-section (1).

(3) The proceeds of surcharge mentioned under sub-section (1) shall be utilized for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny.

16. Exemption of tax.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, exempt fully or partially, whether prospectively or retrospectively from tax the sale or purchase of any goods, without any condition or with such condition as may be specified in the notification.

(2) The State Government in the public interest, by notification in the Official Gazette, may exempt whether prospectively or retrospectively from tax the sale or purchase by any person or class of persons as mentioned in Schedule-II, without any condition or with such conditions as may be specified in the notification.

(3) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedule-II, prospectively or retrospectively, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

(4) The State Government may, if it considers necessary in the public interest so to do, notify grant of exemption from payment of whole of tax payable under this Act in respect of any class of sales or purchases for the purpose of promoting the scheme of Special Economic Zones or promoting exports, subject to such conditions as may be laid down in the notification.

(5) Every notification issued under this section shall be laid, as soon as may be after it is so issued, before the House of the State Legislature, while it is in session for a period of not less than thirty days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the sessions in which it is so laid or of the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in such notification or resolves that any such notification should not be issued, such notification thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

17. Registration.- (1) Every dealer liable to pay tax under sub-section (1) or (3) of section 6 shall get himself registered by submitting an application to the authority competent to grant registration, in such form and in such manner and within such time as may be prescribed.

(2) When a dealer, who is liable to get registration, does not make application under sub-section (1), the authority competent to grant registration, after affording an opportunity of being heard to such dealer, shall grant him a certificate of registration from the date he becomes liable to pay tax under this Act and such registration shall take effect as if it has been granted under sub-section (1).

(3) Any person intending to commence or having commenced a business may, notwithstanding that he is not liable to get registration under sub-section (1), apply to the authority competent to grant registration in the prescribed form for registration.

(4) The certificate of registration so granted shall not be transferable and it shall remain in force unless it is cancelled.

(5) Every person who, on the day immediately preceding the appointed day, is registered under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) in the State, shall be deemed to be registered under this Act with effect from the appointed day.

(6) Any person already registered or seeking registration under the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017) and applying for registration under this Act shall be deemed to be registered.

(7) The authority competent to grant registration and the authority competent to amend, cancel and revoke the registration shall be such as may be authorized by the Commissioner.

(8) The detailed procedure for registration, amendment in registration, cancellation of registration and revocation of cancelled registration shall be such as may be prescribed.

(9) Subject to the other provisions of this Act, where a dealer makes an application for registration he may start collecting tax on his sales in accordance with the provisions of this Act from the date of such application and in that case all the provisions of this Act, as are applicable to a registered dealer, shall *mutatis mutandis* apply to him.

18. Tax payable by a dealer.- (1) Subject to the other provisions of this Act, the net tax payable by a registered dealer, other than the dealer covered by sub-section (2) of section 6, for a tax period shall be calculated as under:-

$$T = (O + R) - I$$

Where 'T' is net tax payable; 'O' is amount of output tax; 'R' is amount of reverse tax; and 'I' is the amount of input tax.

(2) Where the net tax payable under sub-section (1) has a negative value, the same shall be first adjusted against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act and the balance amount if any, shall be carried forward to the next tax period or periods.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, where the sales are made on behalf of the principal registered under this Act by an agent also registered under this Act, such sales shall be deemed to be the sales of the principal and the agent shall render the accounts of such sales in the manner as may be prescribed.

(4) Every person whose registration is cancelled under this Act shall pay tax in the manner prescribed in respect of every taxable goods held in stock and capital goods on the date of such cancellation.

19. Input Tax Credit.- (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 6, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (c) being used as raw material, except those as may be notified by the State Government, in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State; or
- (d) being used as raw material in manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India,

however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

(2) Notwithstanding anything contained in this section, no dealer shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any sale of goods to him unless,-

- (i) he is in possession of a tax invoice or debit note issued by a registered selling dealer under this Act, or such other tax paying documents as may be prescribed;
- (ii) he has received the goods;

Explanation.- For the purpose of this clause, it shall be deemed that the dealer has received the goods, where the goods are delivered by the seller to a purchaser or any other person on the direction of such registered dealer, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;

- (iii) subject to the provisions regarding matching of claim of input tax, the tax charged in respect of such sale has been actually paid to the Government, either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of the said sale;
- (iv) he has furnished the return under section 17;
- (v) the details of the invoice or debit note referred to in clause (i) has been furnished by the registered selling dealer in the statement of sales and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner as may be prescribed:

Provided that where the goods against a VAT invoice are received in lots or instalments, the registered dealer shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or instalment:

Provided further that the purchaser shall be entitled to avail the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of sale of goods along with tax payable thereon;

- (vi) a registered dealer shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for sale of goods, after the due date as may be prescribed, of furnishing of the return under section 17 for the month of November following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases-

- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 6; or
- (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or

- (iii) of goods taxable at first point in the series of sales, from a registered dealer who pays tax at the first point;

Explanation.- For the purpose of this clause, “first point in the series of sales” means the first sale made by a registered dealer in the State; or

- (iv) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
- (v) of goods where VAT invoice does not show the amount of tax separately; or
- (vi) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commissioner authorized by the Commissioner.

(4) The State Government may notify cases in which partial input tax credit may be allowed subject to such conditions, as may be notified by it.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, where any goods purchased in the State are subsequently sold at subsidized price, the input tax allowable under this section in respect of such goods shall not exceed the output tax payable on such goods.

(6) The burden to prove entitlement of input tax credit on any purchase shall be on such person who has filed a claim for Input Tax Credit.

20. Payment of tax, interest, penalty and other amounts.- (1) Tax payable under this Act shall be deposited into a Government treasury or a bank authorized to receive money on behalf of the State Government, on the basis of accounts of a dealer in such manner and at such intervals as may be notified by the State Government, and different intervals may be notified for different categories of dealers.

(2) Every deposit made towards tax, interest, penalty, fee or any other amount by a person by internet banking or by using credit or debit cards or National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement or Unified Payment Interface or by such other mode and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, shall be credited to the electronic cash ledger of such person to be maintained in such manner and at such interval as may be prescribed.

(3) The input tax credit as self-assessed in the return of a registered dealer shall be credited to his electronic credit ledger, in accordance with section 12, to be maintained in such manner as may be prescribed.

(4) The amount available in the electronic cash ledger may be used for making any payment towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder in such manner and subject to such conditions and within such time as may be prescribed.

(5) The amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under this Act or under the Central Sales Tax Act (Central Act No. 74 of 1956) in such manner and subject to such conditions and within such time as may

be prescribed.

(6) All liabilities of a registered dealer under this Act shall be recorded and maintained in an electronic liability register in such manner as may be prescribed.

(7) Every registered dealer shall discharge his tax and other dues under this Act or the rules made thereunder in the following order, namely:-

- (a) self-assessed tax, and other dues related to returns of previous tax periods;
- (b) self-assessed tax, and other dues related to the return of the current tax period;
- (c) any other amount payable under this Act or the rules made thereunder including the demand determined under this Act.

(8) Every person who has paid the tax on goods under this Act shall, unless the contrary is proved by him, be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the purchasing dealer of such goods.

(9) The balance in the electronic cash ledger after payment of tax, interest, penalty, fee or any other amount payable under this Act or the rules made thereunder may be refunded in accordance with the provisions of section 31.

Explanation.- For the purposes of this section,-

- (a) the date of credit to the account of the Government in the authorized bank shall be deemed to be the date of deposit in the electronic cash ledger;
- (b) the expression,-
 - (i) 'tax dues' means the tax payable under this Act and does not include interest, fee and penalty; and
 - (ii) 'other dues' means interest, penalty, fee or any other amount payable under this Act or the rules made thereunder.

21. Interest on delayed payment of tax.- (1) Every dealer who is liable to pay tax in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the Government within the period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, pay, on his own, interest at such rate, as may be notified by the Government:

Provided that the interest on tax payable in respect of sales made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 17, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 22 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.

(2) The interest under sub-section (1) shall be calculated, in such manner as may be prescribed, from the day succeeding the day on which such tax was due to be paid.

(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilized, the registered dealer shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilized, at such rate as

may be notified by the Government and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed.

22. VAT Invoice, credit and debit notes.- A registered dealer selling taxable goods shall, before or at the time of,-

(a) removal of goods for sale to the purchaser, where the sale involves movement of goods; or

(b) delivery of goods or making available thereof to purchaser, in any other case,

issue a VAT invoice showing the description, quantity and value of goods, the tax charged separately thereon and such other particulars as may be prescribed:

Provided that the Government may, by notification, specify the categories of goods or sales in respect of which a VAT invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed:

Provided further that the manner, time period and other conditions regarding credit notes, debit notes other conditions regarding VAT invoice shall be such as may be prescribed.

23. Accounts and other records.- (1) Every registered dealer shall keep and maintain, at his principal place of business, as mentioned in the certificate of registration, a true and correct account of sales and purchases, stock of goods and such other particulars for such time and in such manner as may be prescribed.

(2) Every registered dealer, who is liable to pay tax, shall furnish a declaration within such time and in such manner as may be prescribed, stating the name of the person or persons to be manager or managers of his business for the purposes of this Act and also the name or names of person or persons authorized to receive notice and other documents under this Act on behalf of the dealer and such service on such person shall be binding on the dealer.

24. Furnishing details of sale, other dispatches, purchases, other receipts and filing of returns.- (1) Every registered dealer shall furnish, electronically within such time and in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the details of sale and other dispatches effected during a tax period.

(2) The details of sale and other dispatches furnished by the registered dealers under sub-section (1) and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the purchasing dealer registered in the State in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(3) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return electronically, for such period, in such form and manner, and within such time as may be prescribed, on the designated portal of the State.

(4) Any person or a registered dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing Authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall

furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be prescribed.

(5) The extent, time period and procedure for availing of input tax credit by the purchasing dealer and verification thereof shall be such as may be prescribed.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), (2) and (3), where the Commissioner is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, may by a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the details of sale, other dispatches, purchases and other receipts, returns or may dispense with the requirement of filing any or all the details of sale, other dispatches, purchases, other receipts and/or returns by a dealer or class of dealers.

25. Annual return and Final return.- (1) Every registered dealer including a non-resident dealer, shall furnish an annual return for every financial year electronically within such time and in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) Every registered dealer who is required to get his accounts audited, shall furnish, electronically, the annual return under sub-section (1) along with a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement, reconciling the value of sale declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement, and such other particulars as may be prescribed.

(3) Every registered dealer who is required to furnish a return under sub-section (3) of section 17 and whose registration has been cancelled shall furnish a final return within three months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later, in such form and manner as may be prescribed.

26. Levy of late fee.- Any registered dealer who fails to furnish the details of sale, purchase or returns required under section 17 and section 18 by the due date shall pay such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed.

27. Self-assessment.- Every dealer registered under section 10 shall within prescribed time for each tax period self assess the tax payable under this Act and declare such details in the return as specified under section 17 and section 18. Such dealer shall be deemed to have been assessed on the basis of returns so filed and no separate order shall be required to be passed except the cases pertaining to section 21.

28. Scrutiny of Returns and Assessment.- (1) The Assessing Authority may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered dealer to verify the correctness of the return and inform him of the discrepancies noticed, if any, in such manner as may be prescribed and seek his explanation thereto.

(2) In case the explanation is found acceptable, the registered dealer shall be informed accordingly and no further action shall be taken in this regard.

(3) In case no satisfactory explanation is furnished within a period of thirty days of being informed by the Assessing Authority or such further period as may be permitted by him or where the registered dealer, after accepting the discrepancies, fails to take the

corrective measure in his return in which the discrepancy is accepted, the Assessing Authority or the officer authorized by the Commissioner, after giving an opportunity of being heard to the dealer and after conducting such enquiry as he may consider necessary, shall assess the dealer to the best of his judgment on the basis of the material available on record.

(4) Where a dealer fails to get himself registered under this Act or fails to furnish the returns under section 17 and section 18 or fails to deposit the tax in accordance with the notified tax period, even after the service of a notice, the Assessing Authority may proceed to assess the tax liability of such person to the best of his judgment in such time and manner as may be prescribed.

(5) No assessment order under this section shall be passed after the expiry of three years from the end of the relevant year. However, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend such time limit in any particular case by a period not exceeding six months.

29. Assessment in case of avoidance or evasion of tax.- (1) Where the Assessing Authority or any officer authorized by the Commissioner in this behalf has reasons to believe that a dealer has avoided or evaded tax or has not paid tax in accordance with law or has availed input tax credit wrongly or erroneously refunded, he may after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, determine at any time and for any period, that taxable turnover of such dealer on which tax has been avoided or evaded or has not been paid in accordance with law or wrong input tax credit has been availed or erroneously refunded and assess the tax to the best of his judgment in such time and manner as may be prescribed.

(2) No assessment order under this section shall be passed after the expiry of three years from the end of the relevant year. However, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend such time limit in any particular case by a period not exceeding six months.

30. Audit of the dealer.- (1) With a view to promoting compliance with the provisions of this Act, the Commissioner may arrange for audit of the business of such of the registered dealers who are selected by the Commissioner on the basis of the application of any criterion or on a random selection basis or in respect of whom the Commissioner has reasons to believe that detail scrutiny of their business is necessary. The audit of the dealer shall be conducted by the auditor in the prescribed manner.

(2) If on such audit, the returns filed by the dealer are not found to be correct, or any avoidance or evasion of tax is detected the auditor shall, issue a show cause notice to the dealer containing details of discrepancies detected.

(3) On receipt of the reply to notice issued under sub-section (2), the auditor shall after considering the reply of the dealer assess his tax and other related liabilities and get such order approved from his immediate higher officer before its issuance to the dealer along with the demand notice. Where the dealer fails to submit the reply, the auditor shall proceed to assess the liability of the dealer under this Act, to the best of his judgment. Such

assessment shall be deemed to be the assessment of the dealer for the relevant period and assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

(4) No assessment order under this section shall be passed after the expiry of three years from the end of the relevant year. However, the Commissioner may for reasons to be recorded in writing, extend such time limit in any particular case by a period not exceeding two years.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), where any proceeding relating to an assessment is subject to adjudication before the Board or a competent court or any other authority under this Act, assessment in such matters may be passed within three years from the final adjudication of such proceedings. The limitation of three years shall be counted from the date of communication of the order of such final adjudication to the Assessing Authority.

31. Rectification of a mistake.- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo moto* or otherwise any order passed by him.

Explanation.- A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Board.

(2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

(3) Where an application under sub-section (1) is presented to the Assessing Authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

(4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified:

Provided that the Commissioner, by notification, may extend the time period required to file an application and disposal of the same under this section.

(5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

32. Reopening of *ex-parte* assessment.- (1) Where an assessment has been made *ex-parte* under section 21 or section 22 or section 23, the Assessing Authority may, on the application of the dealer made within sixty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment, cancel the assessment order subject to sub-section (2) of this section and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.

(2) Before proceeding under sub-section (1), the Assessing Authority should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under

section 21 or section 22 or section 23 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summon issued to him for assessment.

(3) The Assessing Authority shall make fresh assessment within sixty days from the date of cancellation of the assessment order as mentioned in sub-section (1).

33. Liability for payment of tax or demand.- (1) The tax or the demand shall be payable by a dealer or a person on the basis of an assessment or an order passed under this Act.

Explanation I.- The interest, penalty, or any sum payable under this Act shall be deemed to be tax for the purpose of collection, recovery and for all matters ancillary or incidental thereto.

Explanation II.- The demand shall include any amount payable by a person or a dealer under this Act or the rules.

(2) The tax paid by a dealer or a person shall be adjusted against the tax liability or the amount held payable in pursuance of an order passed under this Act and the balance of the amount shall be payable by such dealer or person within thirty days from the date of service of the notice or within a period of less than thirty days, as may be determined by the Assessing Authority or auditor or any other authority authorized by the Commissioner in the special circumstances and for reasons to be recorded in writing.

(3) In default of the payment of tax or demand payable under sub-section (1) or sub-section (2), the amount of tax or demand shall be recoverable in accordance with the provisions of this Act including the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) and the Revenue Recovery Act, 1890 (Central Act No. 1 of 1890).

(4) Where the recovery of tax or demand or any part thereof is stayed, the amount of such tax or demand ultimately found due shall be recoverable with interest as per provisions of this Act, and such interest shall be payable on such amount from the date the tax or demand first became due.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, the liability for payment of demand in the following cases shall be such as may be prescribed:-

- (i) in the case of representatives of a deceased person; or
- (ii) in the case of dissolution/ discontinuance/partition of business; or
- (iii) in the case of transfer of business; or
- (iv) in the case of amalgamation and merger of companies; or
- (v) in the case of principal and agent; or
- (vi) in the case of firms and partners; or
- (vii) in the case of directors of a company.

34. Provisional attachment to protect revenue in certain cases.- (1) Where during the pendency of any proceedings under section 21 or section 22 or section 23 or section 35, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the

Government revenue, it is necessary so to do, he may, by order in writing attach provisionally any property, including bank account, belonging to the dealer in such manner as may be prescribed.

(2) Every such provisional attachment shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of the order made under sub-section (1).

35. Mode of recovery.- (1) Without prejudice to other provisions of this Act, where any tax or other sum payable by a dealer or a person under this Act is not paid in accordance with the provisions of this Act or the rules made or notifications issued thereunder, it shall be recoverable as an arrear of land revenue and the Assessing Authority or any other authority authorized by the Commissioner, shall be empowered to recover such tax or other sum by attachment and sale of movable or immovable property of such dealer or person and all the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) read with the Rajasthan Land Revenue (Payments, Credits, Refunds and Recovery) Rules, 1958 shall *mutatis mutandis* apply.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the Assessing Authority or any other authority authorized by the Commissioner may, at any time or from time to time by notice in writing, a copy of which shall be sent to the dealer at his last known address, require,-

- (a) any person from whom any amount is due or may become due to a dealer who has failed to pay due tax or other sum on demand by the Assessing Authority; or
- (b) any person who holds or may subsequently hold any money for or on account of such dealer,

to pay into the Government Treasury or the Bank authorized to receive money on behalf of the State Government as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, the Commissioner may, on an application made in this behalf by a dealer and after having got conducted such enquiry as he deems necessary and after recording his reasons in writing for so doing, reduce or waive, the amount of interest or penalty or both payable by such dealer under this Act, if he is satisfied that -

- (i) the dealer is under financial hardship and is not in position to make full payment of the demand; or
- (ii) to do otherwise would cause genuine hardship to the dealer.

(4) Every order made under sub-section (3) shall be final and shall not be called in question by any civil court or any other authority.

36. Power to write off demand.- Where a demand against a dealer payable under this Act including the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) has been outstanding for a period that may be prescribed from the date it became due and such demand has been rendered irrecoverable for want of any kind of property for being attached and sold, without prejudice to the provisions of other law or rules providing for writing off

of demands, such demand may be written off through an order in writing, in such manner as may be prescribed.

37. Tax to be first charge on property.- Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Central Act No. 31 of 2016), any amount payable by a dealer or any other person on account of tax, interest or penalty which he is liable to pay to the Government shall be a first charge on the property of such dealer or such person.

38. Refund of tax.- (1) Where any amount is refundable to a dealer under the provisions of this Act, after having duly verified the fact of deposit of such amount by him, the Assessing Authority or the officer authorized by the Commissioner, shall in such time, manner and with such conditions as may be prescribed, refund to such dealer or person, the amount to be refunded either by cash payment or by adjustment against the tax or other sum due in respect of any tax period.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, where a registered dealer files a return and claims refund on account of sales in the course of export outside the territory of India, the Assessing Authority or officer authorised by the Commissioner may require such dealer to furnish such documents as may be prescribed and after having been satisfied shall within such time as may be prescribed grant the dealer a refund in cash.

39. Power to obtain security or withhold refund in certain cases.- Where an order giving rise to refund is subject matter of an appeal, revision or other proceeding and such appeal, revision or other proceeding is contemplated or pending, and the officer concerned or the Assessing Authority for the reasons to be recorded in writing is of the opinion that the grant of the refund is likely to adversely affect the State revenue, the said officer or the Assessing Authority may, with previous approval of the Commissioner, either obtain the security equal to the amount to be refunded to the dealer or the person or withhold the refund till such time as the Commissioner may determine.

40. Penalty.- (1) Where any person has, without reasonable cause, failed to make an application to get himself registered as required under the provisions of this Act, within the time specified in the Act or prescribed in the rules, the Assessing Authority or the authority competent to grant him registration may direct that such person shall pay by way of penalty a sum not exceeding ten thousand rupees or an amount equivalent to the tax evaded, whichever is higher.

(2) Where any dealer does not maintain accounts, registers and documents as required under the provisions of section 16, or does not keep his accounts, registers and documents at a place in accordance with the provisions of section 16, the Assessing Authority or any other officer not below the rank of Assistant Commissioner as authorized by the Commissioner may direct that such person shall pay by way of penalty a sum not exceeding ten thousand rupees or an amount equivalent to the tax evaded, whichever is higher.

(3) Where any person-

- (a) not being a registered dealer or being a registered dealer not liable to pay tax under this Act, collects any amount by way of tax; or
- (b) who being a registered dealer, collects any amount by way of tax in excess of the tax payable by him; or
- (c) who otherwise collects tax in contravention of any of the provisions of this Act, the Assessing Authority or any other officer, not below the rank of an Assistant Commissioner authorized by the Commissioner,

shall by an order forfeit the amount so collected.

(4) Where any person or dealer has collected any amount in the manner specified in clause (a), (b) or (c) of sub-section (3), the Assessing Authority or any other officer not below the rank of an Assistant Commissioner authorized by the Commissioner, may direct such person or dealer to pay, in addition to the amount forfeited under clause (a), (b) or (c), a penalty of sum not exceeding ten thousand rupees or an amount equivalent to the fifty per cent of tax so collected, whichever is higher.

(5) Where any dealer has-

- (a) disclosed taxable turnover of sale of goods in any return furnished by him at a lower rate of tax than the rate of tax as specified under this Act or otherwise furnished inaccurate particulars deliberately in the return furnished by him; or
- (b) incorporated any transaction of sale or purchase in his accounts, registers or documents required to be maintained by him under this Act at a lower rate of tax than the rate of tax as specified under this Act; or
- (c) concealed any particulars from any return furnished by him; or
- (d) concealed any transactions of sale or purchase from his accounts, registers or documents required to be maintained by him under this Act; or
- (e) failed to get himself registered as required under section 10 of this Act and has avoided tax; or
- (f) avoided or evaded tax in any other manner,

the Assessing Authority or any officer not below the rank of an Assistant Commissioner as may be authorized by the Commissioner, after giving him a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, impose upon him by way of penalty in addition to tax payable by him under this Act a sum equal to two times the amount of tax avoided or evaded.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any dealer has availed input tax credit wrongly, the Assessing Authority or any other officer not below the rank of an Assistant Commissioner as may be authorized by the Commissioner shall reverse such credit of input tax and shall impose on such dealer-

- (a) in case such credit is availed on the basis of false or forged VAT invoices, a penalty equal to four times of the amount of such wrong credit; and

(b) in other cases, a penalty equal to double the amount of such wrong credit.

(7) Where any person or a dealer, has without reasonable cause failed to furnish within the time allowed, statistics or other information required to be furnished in pursuance of any direction given by any officer or authority appointed or constituted under this Act, the Assessing Authority or any officer not below the rank of an Assistant Commissioner as may be authorized by the Commissioner, may direct that such person or dealer shall pay by way of penalty, a sum not exceeding rupees ten thousand.

(8) Where any person or a dealer -

- (i) fails to comply with a direction given by any officer or authority appointed or authorized or constituted under this Act; or
- (ii) violates any of the provisions of this Act or the rules made thereunder for which no specific penalty has been provided elsewhere under this Act or the rules,

the Assessing Authority or any other officer not below the rank of an Assistant Commissioner as authorized by the Commissioner, may direct that such person or dealer shall pay by way of penalty a sum not exceeding rupees twenty five thousand rupees.

(9) No penalty under this Act shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the dealer or the person concerned.

41. Compounding of offences in lieu of penalty.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, on an application by a person admitting the offence committed by him under sub-section (5) or clause (b) of sub-section (6) of section 33 or sub-section (7) or sub-section (13) of section 35, the Assessing Authority or officer authorized, as the case may be, may accept compounding amount from such person in lieu of penalty in the manner as may be prescribed, which shall be,-

- (a) in case of offences committed in sub-section (7) or sub-section (13) of section 35, equal to the amount of four times of the tax leviable on the goods involved or twenty five per cent of the value of such goods, whichever is less;
- (b) in case of offences committed in sub-section (5) or clause (b) of sub-section (6) of section 33, equal to the amount of tax avoided or evaded.

(2) Notwithstanding anything contained in section 37, no appeal shall lie or subsist against an order of compounding of offences made under this Act.

42. Power of entry, inspection and seizure of accounts and goods and inspection of goods while in movement.- (1) An Assessing Authority or any officer not below the rank of Assistant Commissioner authorized by the Commissioner in this behalf with such conditions and restrictions as may be specified by the Commissioner, shall have the power-

- (a) to inspect or survey the place of business of a dealer or any other place where it is believed by such authority or officer that business is being done or accounts are being kept by such dealer;

- (b) to direct such dealer to produce accounts, registers and documents including documents in electronic form relating to his business activities for examination;
- (c) to inspect the goods in the possession of the dealer or in the possession of anybody else on behalf of such dealer, wherever such goods are placed;
- (d) to make search of such place including the search of the person found there, where concealment of facts relating to business is suspected;
- (e) to break open the door of any premises or to break open any almirah, box, receptacle in which any goods, accounts, registers or documents including documents in electronic form of the dealer are suspected to be concealed, where access to such premises, almirah, box or receptacle is denied;
- (f) to record the statement of the dealer or his manager, agent or servant or to take extracts from any record and to put identification marks on accounts, registers or documents and on any door, almirah, box or receptacle.

Explanation.- There shall be a presumption in respect of goods, accounts, registers or documents, which are found at any place of business of a dealer during any inspection or search, that they relate to his business unless the contrary is proved by him.

(2) Where any accounts, registers or documents including documents in electronic form are produced before any Assessing Authority or any officer not below the rank of Assistant Commissioner in any proceeding under this Act, such authority or officer may, for reasons to be recorded in writing, impound and retain them in its custody for a period not exceeding six months, and shall give the dealer or any other person who has produced such accounts, registers or documents including documents in electronic form a receipt of the same. The dealer may obtain copy of such accounts, registers or documents including documents in electronic form on payment of copying fee as may be prescribed. However, such copy may not be given unless the dealer produces the remaining accounts, statements, registers and documents including documents in electronic form required to be maintained under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(3) Where at the time of inspection, the Assessing Authority or any officer not below the rank of Assistant Commissioner authorized by the Commissioner in this behalf has reason to suspect that the dealer is attempting to avoid or evade tax or is concealing his tax liability in any manner, it may, for reasons to be recorded in writing, seize such accounts, registers or documents including documents in electronic form of the dealer as it may consider necessary and shall give the dealer or any other person from whose custody such accounts, registers or documents are seized a receipt for the same, and may retain the same in its custody for examination, enquiry or other legal action for a period not exceeding six months. The dealer may obtain copy of the seized record on payment of copying fee as may be prescribed. However, such copy may not be given unless the dealer produces the remaining accounts, statements, registers and documents including documents in electronic form required to be maintained under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(4) The accounts, registers or documents including documents in electronic form impounded under sub-section (2) or seized under sub-section (3) may be retained even beyond a period of six months and up to a maximum period of two years from the date of impounding or seizure, as the case may be, by such authority or officer, after having obtained permission in writing of the Commissioner or the Additional Commissioner authorized by the Commissioner.

(5) The Assessing Authority or any other officer not below the rank of Assistant Commissioner authorized by the Commissioner under sub-section (1) may seize any goods liable to tax, which are found in the possession of a dealer or in the possession of anybody else on behalf of such dealer and which are not accounted for in his accounts, registers or documents including documents in electronic form maintained in the course of his business; and a list of goods so seized shall be prepared by such authority or officer and a copy thereof shall be given to the dealer or any other person from whose custody such goods are seized.

(6) Where it is not feasible to seize the accounts, registers or documents under sub-section (4) or the goods under sub-section (5), the Assessing Authority or the officer concerned may serve on the owner or the person who is in immediate possession or control thereof an order that he shall not remove, part with or otherwise deal with them except with the previous permission of such authority or officer, which may, after serving such order, take such steps as may be deemed necessary under the circumstances.

(7) The Assessing Authority or the officer referred to in sub-section (1) may, after having given the dealer an opportunity of being heard and after having held such further enquiry as it may consider fit, impose on him, for the possession of goods not accounted for, whether seized or not under sub-section (5), a penalty equal to the amount of five times of the tax leviable on such goods or thirty per cent of the value of such goods, whichever is less, and such authority or officer may release the goods, if seized, on payment of the penalty imposed or on furnishing such security for the payment thereof as it may consider necessary.

(8) Where any goods are in movement within the territory of the State of Rajasthan, the Assessing Authority or an officer authorized by the Commissioner in this behalf may stop the vehicle or the carrier or the person carrying such goods, for inspection, at any place within the jurisdiction as may be notified in this regard.

(9) The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall-

- (a) stop the vehicle or carrier for checking on being instructed by the officer authorised under sub-section (8);
- (b) carry with him a goods vehicle record including “challans” and “bilties”, invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;
- (c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the officer authorised under sub-section (8);
- (d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and

- (e) allow the inspection of the goods by the officer authorised under sub-section (8).

Explanation.- For the purpose of this Act 'goods in movement' shall mean-

- (i) the goods which are in the possession or control of a transporting agency or person or other such bailee;
- (ii) the goods which are being carried in a vehicle or carrier belonging to the owner of such goods; and
- (iii) the goods which are being carried by a person.

(10) Where any goods in movement, other than exempted goods, are without documents, or are not supported by invoices, goods vehicle record including “challans” and “bilties”, prescribed declaration forms and bills of sale or dispatch memos or documents including documents in electronic form produced appears to be false or forged, the Assessing Authority or the officer authorized under sub-section (8), may-

- (a) direct the owner or a person duly authorized by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or carrier or of the goods not to part with the goods in any manner including by re-transporting or re-booking, till a verification is done or an enquiry is made, which shall not take more than seven days;
- (b) seize the goods for reasons to be recorded in writing and shall give a receipt of the goods to the person from whose possession or control they are seized;
- (c) release the goods seized under clause (b) to the owner of the goods or to a person duly authorized by such owner, during the course of the proceeding:-
 - (i) if penalty as provided under sub-section 13 has been deposited; or
 - (ii) if adequate security of the amount equal to the estimated value of the goods is furnished.

(11) If a transporter fails to give information as required from him under clause (d) of sub-section (9) about the consignor, consignee or the goods within such time as may be specified or transports the goods with false or forged documents, besides imposing the penalty under sub-section (13), it shall be presumed that the goods so transported have been sold in the State of Rajasthan by him and he shall be deemed to be a dealer for those goods under this Act.

(12) The provisions of this Act shall, for the purpose of levy, collection and assessment of tax, determination of interest, payment and recovery of tax and interest, appeal, review or revision, apply to the transporter deemed to be a dealer under sub-section (11).

(13) The officer authorized under sub-section (8), after having given the owner of the goods or person duly authorized in writing by such owner or person incharge of the goods, a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation

of the provisions of the Act or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty per cent of the value of such goods may be imposed in the manner as may be prescribed.

43. Power to summon persons to give evidence and produce documents.- (1) The Assessing Authority or officer authorized under this Act shall have power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in any inquiry in the same manner, as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).

(2) Every such inquiry referred to in sub-section (1) shall be deemed to be a 'judicial proceedings' within the meaning of section 229 and section 267 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

44. Appeal to the appellate authority.- (1) Subject to section 40, an appeal against any order of a Joint Commissioner, a Deputy Commissioner or an Assistant Commissioner shall lie to the appellate authority.

(2) The time limit for filing appeal and manner for appeal that has been preferred to the appellate authority shall be such as may be prescribed.

(3) The appellate authority may, before disposing of any appeal make such further enquiry as it thinks fit, or may direct the Assessing Authority or the officer against whose order appeal has been preferred to make further enquiry and report the result of the same to the appellate authority and in disposing of the appeal the said authority may,-

(a) in the case of an order of assessment, interest or penalty,-

(i) confirm, enhance, reduce or annul the assessment, interest or penalty; or

(ii) set aside the order of assessment, interest or penalty and direct the Assessing Authority to pass fresh order after such further enquiry as may be directed; and

(b) in the case of any other order, confirm, cancel, vary or remand such order.

(4) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-

(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and

(b) a sum equal to ten per cent of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, subject to a maximum of twenty-five crore rupees, in relation to which the appeal has been filed:

Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (13) of section 35, unless a sum equal to twenty-five per cent of the penalty has been paid by the appellant.

(5) Where the appellant has paid the amount under sub-section (4), the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to be stayed till the disposal of the appeal.

45. Appeal to The Board.- (1) An appeal shall lie to the Board against-

- (a) an order passed by the Commissioner under sub-section (1) or sub-section (5) of section 41;
- (b) an order passed by an appellate authority.

(2) Any person aggrieved by any order referred to in sub-section (1), may file an appeal before the Board within ninety days of the date on which the order sought to be appealed against is communicated to him in writing.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Commissioner or an Additional Commissioner (Administration) authorized specially or generally by the Commissioner may, if aggrieved by any order referred to in sub-section (1), direct any officer to file an appeal before the Board and such officer shall file such appeal under his signatures within one hundred and eighty days of the date on which the order sought to be appealed against is communicated in writing to the Commissioner or the Additional Commissioner.

(4) The respondent may, on receipt of notice that an appeal against an order referred to in sub-section (1) has been preferred by the appellant, notwithstanding that he may not have appealed against such order, within one hundred and twenty days in the case of an officer of the Commercial Taxes Department and within sixty days in the case of a dealer, of receipt of the notice, file a memorandum of cross-objections verified in the prescribed manner, against any part of the said referred order and such memorandum shall be disposed of by the Board as if it were an appeal within the time specified in sub-section (2) or (3).

(5) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-

- (a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and
- (b) a sum equal to twenty per cent of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, subject to a maximum of fifty crore rupees, in relation to which the appeal has been filed.

(6) Where the appellant has paid the amount under sub-section (5), the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to be stayed till the disposal of the appeal.

(7) The Board may admit an appeal or permit the filing of memorandum of cross-objections after the expiry of the limitation, if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting the same within that limitation.

(8) An appeal to the Board shall be made in the prescribed form and shall be verified in the prescribed manner.

(9) The Board shall, after giving both the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order thereon as it thinks fit and send a copy thereof to the appellant, the Assessing Authority, the authority whose order was appealed against and the Commissioner.

46. Revision to the High Court.- (1) Any dealer aggrieved by an order passed by the Board under sub-section (9) of section 38 or sub-section (1) of section 24 may, within ninety days from the date of service of such order, apply to the High Court in the prescribed form accompanied by the prescribed fee, for revision of such order on the ground that it involves a question of law.

(2) The Commissioner may, if he feels aggrieved by any order passed by the the Board under sub-section (9) of section 38 or sub-section (1) of section 24, direct any officer to apply to the High Court for revision of such order on the ground that it involves a question of law; and such officer shall make the application to the High Court within one hundred and eighty days of the date on which the order sought to be revised is communicated in writing to the Commissioner.

(3) The application for revision under sub-section (1) or sub-section (2) shall state the question of law involved in the order sought to be revised, and the High Court may formulate the question of law in any form or allow any other question of law to be raised.

(4) The High Court shall after hearing the parties to the revision, decide the question of law stated to it or formulated by it, and shall thereupon pass such order as is necessary to dispose of the case.

47. No appeal or revision in certain cases.- Notwithstanding anything contained in section 37, 38 and 39, no appeal or revision shall lie against,-

- (a) notice or summons issued under this Act for the purpose of assessment or for any other purpose including for recording statements; or
- (b) a direction to maintain certain accounts or furnish certain information, statement, statistics or return; or
- (c) an order for impounding, seizure or retention of accounts, registers or documents; or
- (d) an interim order passed in assessment or other proceeding, subject however, it will be open to the party aggrieved to challenge such interim order in any appeal or revision preferred against the final order;
- (e) any guidelines formulated, instructions issued, directions given or orders passed by the Commissioner under sub-section (3), (6), (7), (8) and (9) of section 41.

48. Powers of the Commissioner.- (1) (i) Where any question arises, otherwise than in proceedings before a court, or in any proceeding under sections 21, 22 and 23, whether for the purpose of this Act,-

- (a) any person is a dealer; or

- (b) any particular dealer is required to be registered; or
- (c) any transaction is a sale, and if so the sale price thereof; or
- (d) any tax is payable in respect of any particular sale or purchase or if tax is payable, the point and the rate thereof; or
- (e) any particular thing done to any goods amounts to or results in the manufacture of goods; or
- (f) any dealer is entitled to any particular amount of input tax credit,

the Commissioner may *suo moto* or on filing of an application in the prescribed manner, shall make an order determining such question.

(ii) Where any such question arises from any order already passed under this Act, no such question shall be entertained for determination under this section, but such question may be raised by the party concerned in the appeal against, or by way of revision of such order.

(iii) The Commissioner under clause (i) may direct that the determination shall not affect the liability of any person under this Act, in respect of any sale or purchase affected prior to the determination.

(iv) Where an order of the Commissioner passed in clause (i) is modified in any way in appeal or revision, the modified order shall be effective from the date of order passed in such appeal or revision.

(2) (i) The Commissioner may *suo moto* or on filing of an application by a dealer transfer any case under this Act from one officer or authority to other officer or authority, on the following grounds, namely:-

- (a) Dispute of jurisdiction; or
- (b) Apprehension of miscarriage of justice; or
- (c) Business convenience.

(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i), the Commissioner or any other officer authorized by him in this behalf may, at any time, for administrative reasons, transfer any case or cases from one officer or authority to other officer or authority, without issuing any notice to the dealer or dealers concerned.

Explanation.- The word 'case' in relation to any dealer under this section shall mean any proceeding pending under this Act on the date of the order made under clause (i) or which may have been completed on or before such date or which may commence after such date.

(3) On an application filed by a dealer, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, extend the time for payment or allow payment of any amount due under this Act, other than the amount due as per the liability self-assessed in any return, by such dealer in monthly instalments not exceeding twenty four, subject to payment of interest under section 14 and subject to such conditions and limitations as may be prescribed:

Provided that where there is default in payment of any one instalment on its due date, the whole outstanding balance payable on such date shall become due and payable forthwith and shall, without any further notice being served on the dealer, be liable for recovery.

(4) The Commissioner may, if he considers that it is necessary so to do, by notification, direct that statistics may be collected relating to any matter dealt with by or in connection with this Act. Upon such notification being issued, the Commissioner, or any person authorized by him in this behalf, may call upon the concerned persons to furnish such information or returns, in such form and manner as may be prescribed, relating to any matter in respect of which statistics is to be collected.

(5) (i) The Commissioner may *suo moto* or otherwise, call for and examine the record of any proceeding under this Act, and if he considers that any order passed therein by Additional Commissioner, Joint Commissioner, Deputy Commissioner and Assistant Commissioner is either erroneous, or prejudicial to the interest of the State revenue, he may, after having made or after having caused to be made such enquiry as he considers necessary, and after having given to the dealer a reasonable opportunity of being heard, pass such order or issue such direction as he deems proper under the circumstances of the case.

(ii) No order or direction under clause (i) shall be passed or issued by the Commissioner if a period of five years has already elapsed from the date on which the order sought to be revised was passed.

(6) The Commissioner may from time to time, issue such orders, instructions and directions to all officers and persons employed in the execution of this Act as he may deem fit for the administration of this Act, and all such officers and persons shall observe and follow such orders, instructions and directions of the Commissioner.

(7) For the purposes of official use, the Commissioner may, by notice in any newspaper, or in such other manner as he deems proper, call upon all dealers or any class of dealers or persons to furnish such information, statement or return as may be specified in the notice issued in this behalf.

(8) No such orders, instructions, or directions shall be issued under sub-section (6) so as to interfere with the discretion of any appellate authority in the exercise of its appellate functions.

(9) Without prejudice to the generality of the foregoing power, the Commissioner may, on his own motion or on an application by a registered dealer liable to pay tax under this Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purpose of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue, clarify the rate of tax payable under this Act in respect of goods liable to tax under this Act, and all officers and persons employed in the execution of this Act shall observe and follow such clarification.

(10) No such application under sub-section (9) shall be entertained unless it is accompanied by proof of payment of such fee, paid in such manner, as may be prescribed.

49. Power of the State Government.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that subject to such conditions, if any, as may be

specified in the notification, any power exercisable by an Assessing Authority under this Act may be exercised by such officer of the State Government, as may be specified in the notification.

(2) (i) The Government may, by notification, specify,-

(a) the goods;

(b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods,

to which the provisions of this sub-section shall apply.

(ii) The Government may, in respect of the goods referred to in sub-clause (a) of clause (i),-

(a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and

(b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.

(iii) The persons referred to in clause (i), shall,-

(a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;

(b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;

(c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;

(d) pay such amount in relation to the system referred to in clause (ii), as may be prescribed.

50. Power to remove difficulties.- (1) Where any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification make such orders not inconsistent with this Act, as may appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of three years from the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the House of the State Legislature.

51. Power to make rules.- The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. All rules made under this Act, shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the

sessions in which they are so laid or in the session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

52. Power of the State Government to waive penalty and interest in certain cases.-Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest or penalty or late fee payable for any period by any class of dealers, subject to such terms and conditions as may be specified in the notification.

53. Rebate of tax.- Notwithstanding anything contained in this Act, if the State Government is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be specified therein, allow, whether prospectively or retrospectively, a rebate up to the full amount of tax to such dealers or class of dealers as may be specified in the notification.

54. Transitional Provisions.- (1) A dealer, other than a person opting to pay tax under sub-section (2) of section 6, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the amount of Input Tax Credit as available under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003(Act No. 4 of 2003), if any, carried forward in the return relating to the period ending with the day immediately preceding the appointed day, furnished by him under the repealed Act in such manner as may be determined by the Commissioner.

(2) Save as otherwise provided in this section, the goods sold on or after the appointed day in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day shall be liable to tax under the provisions of this Act.

(3) Every proceeding of assessment, appeal, revision or relating to a claim for input tax credit initiated whether before, on or after the appointed day under the repealed Act shall be disposed of in accordance with the provisions of the repealed Act.

(4) Where in pursuance of an assessment proceedings instituted, whether before, on or after the appointed day under the repealed Act, any amount of tax, interest, fine or penalty becomes recoverable from the person, the same shall, unless recovered under the repealed Act, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act.

55. Indemnity.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer or official of the State Government for anything which is done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder in good faith.

56. Automation.- (1) The State Government may, by notification in Official Gazette, provide that the provisions contained in the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000) and the rules made and directions given thereunder, including the provisions relating to digital signatures, electronic governance, attribution, acknowledgement and dispatch of electronic records, secure electronic records and secure digital signatures and

digital signature certificates as are specified in the said notification, shall, in so far as they may, as far as feasible, apply to the procedures under this Act.

(2) Where any return, application, communication or intimation is submitted by a dealer or his business manager or by a person, electronically through the official website of the Commercial Taxes Department, such return, application, communication or intimation shall be deemed to be submitted by him, if the dealer or business manager or person has given his consent to use the website for e-filing in the prescribed manner:

Provided that dealer or business manager or person, who has consented to use the official website of the Department shall not retract from or repudiate such e-documents submitted by him through the website.

57. Applicability of the provisions of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.- Subject to the provisions of this Act and rules made thereunder, provisions of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), shall apply *mutatis mutandis* for all other incidental and miscellaneous matters not provided in this Act.

58. Repeal and Savings.- (1) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) shall stand repealed on and from the date of the commencement of this Act and the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall apply to such repeal.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1)-

- (a) anything done or any action taken including any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued, authorities or powers conferred, processes issued under the repealed Act shall be deemed to have been done or taken or issued under the provisions of this Act in so far as the same is not inconsistent with the provisions of this Act or rules made thereunder and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or action taken under this Act.
- (b) any authorities or Board constituted under the repealed Act shall be deemed to have been constituted under the provisions of this Act.
- (c) the modified limitations or the newly introduced limitations provided in this Act shall apply prospectively and all events occurred and all issues arose prior to the date of commencement of this Act, shall be governed by the limitations provided or the provisions contained in the repealed Act.

SCHEDULE-I

[See sub-section (1) of section 7]

Goods Taxable at following Rates

S. No.	Description of Goods	Rate of Tax (%)	Condition, if any
1.	2.	3.	4.
1.	High and light speed diesel oil	17.30	
2.	Petrol	29.04	
3.	Aviation turbine fuel (ATF)	26	
4.	Petroleum Crude	5	
5.	Natural Gas in Liquefied or Gaseous state	10	
6.	Compressed Natural Gas (CNG)	10	
7.	Piped Natural Gas (PNG)	10	
8.	Country Liquor	10	
9.	Foreign Liquor, Indian Made Foreign Liquor and Beer.	30	
10.	Goods not covered in above entries	5.5	

SCHEDULE-II

[See sub-section (2) of section 9]

Exemption to Persons or Class of Persons

S. No.	Exemptions to person or Class of persons	Conditions, if any
1.	United Nations Organization and its constituent agencies	
2.	Foreign Diplomatic Missions and their diplomats	
3.	(i) Canteen Stores Department, or (ii) Regimental or Unit-run Canteens attached to Military units	
4.	Rajasthan State Road Transport Corporation	
5.	Indian Railways	
6.	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Ltd., Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Ltd., Ajmer Vidyut Vitaran Nigam Ltd., Jaipur Vidyut Vitaran Nigam Ltd., Jodhpur Vidyut Vitaran Nigam Ltd.	
7.	Airlines which for the first time connect cities of the State having no air service	
8.	Registered Flying Clubs set up for training	
9.	BSF canteens in Rajasthan	
10.	Dealers having license for retail off, issued by the Excise Department, Government of Rajasthan	
11.	(i) Jaipur City Transport Service Limited (ii) Ajmer City Transport Service Limited	
12.	CISF canteens in Rajasthan	
13.	CRPF canteens in Rajasthan	
14.	Registered dealers selling High and Light Speed Diesel Oil in the State	
15.	M/s. Rajasthan State Beverages Corporation Limited, Jaipur	
16.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel to any airline which operates commercial flights in and/or from the State of Rajasthan	
17.	Dealers having license for retail sale of country liquor issued by the Excise Department, Government of Rajasthan	
18.	Registered dealers having retail outlets of petroleum	

	companies	
19.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel at RCS Airports located within the State to airline operator which operates RCS Flights as defined in “Regional Connectivity Scheme-UDAN” issued by Ministry of Civil Aviation, Government of India	
20.	Registered dealers selling High Speed Diesel to manufacturers and works contractors and those engaged in mining, who are registered under the Rajasthan Goods and Service Tax Act, 2017(Act No. 9 of 2017)	
21.	M/s Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.	
22.	Foreign Liquor, Indian Made Foreign Liquor and Beer, when sold to the dealers/persons not having retail off licenses issued by the Excise Department, Government of Rajasthan	
23.	Registered dealers selling Aviation Turbine Fuel to Flying Training Organisations and Aircraft type training Organisations approved by the Directorate General of Civil Aviation operating in the State of Rajasthan.	

59. Declaration of Independent Act Number and Renumbering of Clauses into Sections.- (1) Upon enactment, the Rajasthan Value Added Tax Act, 2025 shall be deemed to be an independent Act and shall be assigned a separate Act Number by the State Government in accordance with legislative procedures. The repeal or amendment of this Finance Act shall not affect the continued operation of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2025, as a separate law.

(2) Clauses 8 to 58 of the Bill, shall be renumbered as sections 1 to 51 respectively at the time of publication of Rajasthan Value Added Tax Act, 2025 as a separate Act. All references appearing within these clauses to a section or sub-section, clauses or sub-clauses, shall be read and construed accordingly.

ब्रजेन्द्र जैन,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।